अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1990

सं. पी-11013/1/88-रा.रा.क्षे. यो. बो.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, जैसे :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि, 1990 कहा जाए ।

(2) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा आवश्यक न हो,

(1) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) से है;

(2) "लेखा अधिकारी" से अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसे सदस्य सचिव ने भविष्य निधि लेखा के अनुरक्षा/रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है;

(3) "बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से है;

(4) "अध्यक्ष" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(5) "परिलब्धियों" से अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से है जैसा कि विनियम में परिभाषित है और इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित होगा;

(अ) वेतन के उपयुक्त मंहगाई वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान, यदि ग्राह्य हो;

(ब) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई भी वेतन जो नियत मासिक वेतन द्वारा न आंका जाए; और

(स) वेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जो विदेश सेवा के सम्बंध में प्राप्त किया हो;

(5) "परिवार" से अभिप्राय:

(अ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के मातापिता जीवित नहीं हैं पैतृक दादा-दादी ।

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह सम्बंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए ।

(ब) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिए जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है;

(7) "निधि" से अभिप्राय अंशदायी भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि से है;

(8) "अवकाश" से अभिप्राय विनियमों द्वारा मान्य किसी भी प्रकार के अवकाश से है;

(9) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य सचिव से है;

(10) "विनियम" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी निधि विनियम, 1990 से है।

(11) "वर्ष" से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है ।

इन विनियमों में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा शब्द जिसे या तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का नियम 19) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियमन, 1986 में परिभाषित किया गया हो, को उनमें परिभाषित संदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाए ।

3. **निधि का गठन**

(1) निधि का रख-रखाव रुपयों में किया जाएगा ।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा की गई सभी राशियां बोर्ड के "अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) लेखा" खाते में जमा की जाएंगी । कोई भी धन राशि जिसका भुगतान इन विनियमों के अन्तर्गत देय होने के बाद 6 महिने के अंदर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उस वर्ष 31 मार्च के बाद "डिपाजिट" में अन्तरित कर दिया जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत "डिपाजिट" से सम्बंधित माना जाएगा ।

4. **पात्रता की शर्तें :**

(1) यह विनियम बोर्ड के प्रत्येक गैर-पेंशन योग्य कर्मचारी पर लागू होंगे ।

(2) बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी जिस पर यह विनियम लागू होते हैं इस निधि का अंशदाता होगा ।

(3) यदि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो इस निधि का सदस्य बना है पहले केन्द्र या राज्य सरकार या किसी संगठन के किसी अन्य अंशदायी भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य था, तो अंशदायी भविष्य निधि में उसके अंशदान की राशि तथा सरकार के अंशदान की राशि या अंशदायी भविष्य निधि में उसके अंशदान की राशि, जैसी भी स्थिति हो, उस पर ब्याज सहित, उस सरकार या संगठन की की अनुमति से इस निधि में उसके खाते में अंतरित कर दी जाएगी ।

5. नामांकन

(1) प्रत्येक जमाकर्ता अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य बनते समय, कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से, लेखा अधिकारी को नामांकन भेजेगा, जिसमें उसकी मृत्यु होने की अवस्था में उस राशि, के देय होने से पहले या देय होने पर भुगतान न की गई हो, जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा है, को एक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा ।

बशर्ते कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्य के सिवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि—

यदि जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पूर्व किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और उस निधि में उसके जमा धन को इस भविष्य निधि में अन्तरित कर दिया गया है तो उस निधि के लिये किया गया नामांकन इस विनियम के लिये किया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं देता है ।

(2) यदि जमाकर्ता उप-विनियम (1) के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे प्रत्येक नामजद को देय राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि किसी भी समय पूरी-पूरी बंट जाए ।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसूची में दिए गए फार्म में किया जाएगा ।

(4) जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रद्द कर सकता है। जमाकर्ता को ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधों के अनुसार नया नामांकन भेजना होगा ।

(5) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लेख कर सकता है—

(अ) किसी विशिष्ट नामजद के सम्बन्ध में, कि जमाकर्ता की मृत्यु से पूर्व नामजद की मृत्यु होने पर उसको दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार के अन्य सदस्य होंगे, यदि जमाकर्ता के परिवार में अन्य सदस्य हों जमाकर्ता जहां ऐसा अधिकार इस खंड के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को देता है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि का भाग इस तरह से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामजद को दी जाने वाली राशि पूरी उनमें बंट जाए ।

(ब) कि नामांकन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा :

बशर्ते कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो वह नामांकन में उल्लेख करेगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने पर वह नामांकन अवैध माना जाएगा ।

परन्तु यह भी कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है तो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि खण्ड (अ) के अन्तर्गत दूसरे नामजद को दिया गया अधिकार बाद में उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा ।

(6) किसी नामजद, जिसके बारे में उप-विनियम-5 के खंड-(अ) के अंतर्गत नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया हो, कि मृत्यु के तुरन्त बाद या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-विनियम-5 के खंड-(ब) या उसके उपबंधों के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, तो जमाकर्ता लेखा अधिकारी को नामांकन को रद्द करने के लिए लिखित नोटिस, इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में, नए किए गए नामांकन सहित, भेजेगा ।

(7) जमाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रद्दकरण नोटिस, जब तक यह वैध रहेगा, उसी दिन से प्रभावशाली होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा ।

6. जमाकर्ता का खाता

प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा, जिसमें निम्न विवरण दिया जाएगा ।

(1) जमाकर्ता का अंशदान ;

(2) विनियम-11 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उसके खाते में किया गया अंशदान;

(3) विनियम-12 के अनुसार जमाकर्ता द्वारा जमा राशि पर ब्याज;

(4) विनियम-12 में उल्लिखितानुसार बोर्ड द्वारा दिए गए अंशदान पर ब्याज;

(5) निधि से लिया गया अग्रिम तथा धन निकासी आदि।

अंशदान की शर्तें एवं दर

7. अंशदान की शर्तें :

(1) जमाकर्ता जब ड्यूटी पर हो या विदेश सेवा में हो, निधि में प्रतिमास जमा करेगा, किन्तु निलंबन की अवधि में नहीं। यदि जमाकर्ता निलंबन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाता है तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राशि, जो उस अवधि (निलंबन अवधि) के लिए देय बकाया अंशदान की राशि से अधिक न हो, को एक मुश्त जमा करे या किस्तों में ।

(2) जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन, अर्ध-वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम, प्राप्य हो, जमा न करे ।

(3) जमाकर्ता को आवकाश पर जाने से पहले उप-विनियम (2) में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में जमा न करने के अपने चुनाव को निम्नानुसार सूचित करना होगा ।

(अ) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी है, तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम वेतन बिल से अंशदान की कटौती न करके;

(ब) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी नहीं है, तो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना द्वारा

उचित रूप से व समय पर सूचना न भेजने पर यह समझा जाएगा कि जमाकर्ता जमा करना चाहता है ।

जमाकर्ता द्वारा इस उप-विनियम के अन्तर्गत दिए गए विकल्प की सूचना अन्तिम होगी ।

(4) जमाकर्ता जिसने विनियम-20 के अंतर्गत अभिदान की राशि और उस पर ब्याज की राशि वापस ले ली हो, तो वह ऐसी निकासी के बाद, जब तक कि वह कार्य पर वापस नहीं आ जाता है, निधि में जमा नहीं करेगा ।

(5) उप-विनियम-1 में बताई गई बात के होने पर भी जमाकर्ता उस मास में निधि में जमा नहीं करेगा जिसमें वह नौकरी छोड़ेगा, जब तक कि वह उक्त मास के प्रारम्भ से पहले सदस्य सचिव को उस मास के लिए अंशदान करने का अपना लिखित विकल्प नहीं भेजता है ।

8. अंशदान की दर :

(1) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं नियत की जाएगी :

(अ) इसको पूर्ण रुपयों में ही लिखा जाएगा;

(ब) दर्शाई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के 8.33 प्रतिशत से कम और कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए जमाकर्ता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :

(अ) उस जमाकर्ता के मामले में तो पिछले वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस तारीख को पात्र था;

बशर्ते कि—

(1) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर था और इस अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना था या उक्त तारख को निलंबित था, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन पात्र था;

(2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अंशदान करने को चुना हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह, यदि भारत में ही कार्यरत रहता, का पात्र होता;

(3) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख के बाद प्रथम बार निधि का सदस्य बना है, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह ऐसी बाद की तारीख को पात्र था ।

(ब) ऐसे जमाकर्ता के मामले में जो गत-वर्ष की 31 मार्च बोर्ड की सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिनका वह नौकरी के प्रथम दिन पात्र था या यदि वह नौकरी के प्रथम दिन के बाद पहली बार निधि का सदस्य बना है, तो वह परिलब्धियां जिनका वह ऐसी बाद की तारीख को पात्र था;

परन्तु—

यदि जमाकर्ता की परिलब्धियां घटती-बढ़ती प्रकृति की हैं तो उनका हिसाब इस तरह से लगाया जाएगा जिस तरह से अध्यक्ष निर्देश देंगे ।

(3) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने मासिक अंशदान की राशि नियत करने की सूचना देगा :—

(अ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च के ड्यूटी पर था तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में अपने वेतन बिल से उस महीने के लिए करवाना चाहता है;

(ब) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था और ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना हो या उस दिन निलम्बित था, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में ड्यूटी पर लौटने पर अपने प्रथम वेतन बिल से करवाना चाहता है;

(स) यदि वह, वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवा में पहली बार आया है, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में, अपने उस महीने के वेतन बिल से जिस महीने वह इस निधि का सदस्य बना है, करवाना चाहता है;

(द) यदि गत-वर्ष की 31 मार्च को वह छुट्टी पर था और अब भी छुट्टी पर चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुना हो तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में उस महीने के वेतन से करवाना चाहता है;

(य) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो उस राशि द्वारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि में अंशदान के कारण जमा की हो;

(र) यदि उसकी परिलब्धियां उप-विनियम (2) के उपबंध में दी गई प्रकृति की हैं तो उस प्रकार से जैसा कि अध्यक्ष आदेश दें ।

(4) इस प्रकार से नियत की गई अंशदान की राशि—

(अ) एक वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ही घटाई जाए;

(ब) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए;

या

पूर्वोक्तानुसार घटाई-बढ़ाई जाए; किन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशदान की राशि उप-विनियम (1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी ।

बशर्ते कि :—

यदि जमाकर्ता कलैंडर मास के दौरान अंशत: ड्यूटी पर हो और अंशत: बिना वेतन अवकाश या अर्ध-वेतन अवकाश या अर्ध औसत वेतन अवकाश पर हो तथा ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना हो तो अंशदान की राशि उपरोक्त के अलावा यदि कोई हो, अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के औसत के समानुपातिक होगी ।

9. विदेश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति :

जब कोई जमाकर्ता विदेश सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा जाता है तब भी भविष्य निधि के विनियम उस पर उसी तरह लागू होंगे, मानो उसे विदेश सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता ।

10. अंशदान की वसूली :

(1) जब परिलब्धियां बोर्ड की निधि से भारत में या भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय से ली जा रही हों तो अंशदान तथा अग्रिमों के मूल-धन व ब्याज की वसूली जमाकर्ता की परिलब्धियों से ही जाएगी।

(2) जब परिलब्धियों किसी अन्य स्रोत से ली जा रही हों, तो जमाकर्ता अपनी देय राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भेजेगा ।

परन्तु :—

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी निकाय जो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है, में प्रतिनियुक्ति पर है, उसके मामले में अंशदान की वसूली व उसका लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषण उस सरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा ।

11. बोर्ड द्वारा अंशदान :

(1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को प्रत्येक जमाकर्ता के खाते में अंशदान करेगा :

परन्तु—

यदि जमाकर्ता वर्ष के दौरान नौकरी छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो गत-वर्ष की समाप्ति और उसकी मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि के लिए अंशदान उसके खाते में जमा किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

उस अवधि, जिसके लिए जमाकर्ता को विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा करने की अनुमति नहीं दी गई हो अथवा जमा न किया हो, के लिए अंशदान देय नहीं होगा ।

(2) बोर्ड द्वारा अंशदान, जमाकर्ता द्वारा ड्यूटी पर वर्ष के दौरान या अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, ली गई परिलब्धियों का ऐसी प्रतिशत दर होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की गई हो या की जाए ।

परन्तु—

यदि भूल से अथवा अन्यथा जमाकर्ता द्वारा जमा किया गया अंशदान विनियम-8 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत देय न्यूनतम अंशदान की राशि से कम है और यदि कम दिये गए अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित जमाकर्ता द्वारा उस अवधि जो विनियम-13 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अन्दर जमा नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा उसके खाते में देय अंशदान की राशि, जमाकर्ता द्वारा जमा किए अंशदान की राशि के बराबर या बोर्ड द्वारा सामान्यतः देय राशि, जो भी कम हो, होगी । हुआ ब्याज बोर्ड द्वारा निर्धारित समय में जमाकर्ता द्वारा नहीं दिया जाता तो बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला अंशदान जमाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि के बराबर या बोर्ड द्वारा आम तौर पर दी जाने वाली राशि, इनमें से जो भी कम हो होगी जब तक कि बोर्ड किसी मामले विशेष में अन्यथा आदेश देता है ।

(3) यदि कोई जमाकर्ता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर है तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए वही परिलब्धियां जो वह भारत में कार्यरत रहने पर प्राप्त करता, ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी ।

(4) यदि जमाकर्ता छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुने, तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए उसके छुट्टी वेतन को ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां माना जाएगा ।

(5) यदि कोई जमाकर्ता मुअत्तली की अवधि के लिए अंशदान का बकाया भुगतान करने को चुने, तो वह परिलब्धियां या परिलब्धियों का भाग जो उस अवधि के लिए बहाल होने के पश्चात् दी जाएं, इस विनियम के प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी ।

(6) विदेश सेवा की अवधि के लिए देय कोई भी अंशदान की राशि, यदि वह विदेश नियोक्ता से वसूल नहीं की जाती है, तो वह बोर्ड द्वारा जमाकर्ता से वसूल की जाएगी ।

(7) अंशदान की देय राशि समीपतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी (50 पैसे को अगला रुपया गिना जाएगा) ।

12. ब्याज :

(1) बोर्ड जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर उस दर से ब्याज जमा करेगा जो केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित करेगी ।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्न प्रकार से जमा किया जाएगा :—

पिछले वर्ष की 31 मार्च को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि को घटाकर, 12 महीनों के लिए ब्याज;

चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि पर चालू वर्ष की 1 अप्रैल से जिस माह राशि वापस ली गई उससे पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक ब्याज;

पिछले वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् जमाकर्ता के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा करने की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक, ब्याज;

ब्याज की कुल राशि उसी प्रकार से निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी जैसा कि विनियम-11 के उप-विनियम (7) में दिया गया है;

परन्तु—

जब जमाकर्ता के खाते में जमा राशि देय हो गई हो तब इस विनियम के अन्तर्गत उस पर ब्याज चालू वर्ष के आरम्भ या जमा करने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, से लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तक जमा किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए जमा करने की तारीख, परिलब्धियों से वसूलियां करने के मामले में, उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह वसूलियां की गई हैं और जमाकर्ता द्वारा अग्रप्रेषण की गई राशियों के मामले में, उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह वह राशियां प्राप्त हों, यदि वह राशियां लेखा अधिकारी को उस माह की पांच तारीख से पहले प्राप्त हो जाएं, परन्तु यदि उस माह की पांचवीं तारीख या उसके पश्चात् प्राप्त होती है तो अगले माह की पहली तारीख मानी जाएगी :

परन्तु—

जहां जमाकर्ता के वेतन या छुट्टी वेतन या भत्ते लेने में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंशदान में

भी विलम्ब हुआ हो तो ऐसे अंशदान पर ब्याज इस बात का ध्यान रखे बिना कि वेतन या छुट्टी वेतन वास्तव में किस माह में लिया गया है, उस माह से देय होगा जिस माह में विनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का वेतन या छुट्टी वेतन देय था :

परन्तु—

यह और कि विनियम-10 के उप-विनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा करने की तारीख उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी यदि वह राशि लेखा अधिकारी को उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है ।

परन्तु यह और कि—

जहां किसी माह की परिलब्धियां उस माह के अन्तिम कार्य दिवस को निकाली जाती हैं और वितरित की जाती हैं तो जमा करने की तारीख अंशदान वसूल करने के मामले में अगले माह की पहली तारीख मानी जाएगी ।

(4) विनियम-23 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज, जिस माह में भुगतान किया जाता है उससे पिछले माह के अन्त तक या जिस माह में ऐसी राशि देय हो जाती उसके पश्चात् छठे महीने के अन्त तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसको ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु—

उस तारीख, जो लेखा अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति (या उसके प्रतिनिधि) को नकद भुगतान करने हेतु सूचित की जाती है, के पश्चात् या यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाता है तो उस तारीख जिस दिन उस व्यक्ति के पक्ष में चैक डाक में प्रेषित किया जाता है, के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि—

जहां जमाकर्ता केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त-वासी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पिछली तारीख से उस निकाय या संगठन में समाहृत हो जाता है, जो जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर देय ब्याज के परिकलन के उद्देश्य के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय होने की तारीख इस शर्त पर समझा जाएगा कि समाहृत होने की तारीख से लेकर समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख तक की अवधि के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि को इस उप-विनियम के अंतर्गत केवल ब्याज के उद्देश्य के लिए ही निधि में अंशदान माना जाएगा ।

नोट : छः माह की अवधि के पश्चात् बकाया निधि पर ब्याज का भुगतान : —

(अ) एक वर्ष की अवधि के लिए लेखा अधिकारी द्वारा; और

(ब) लेखाअधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा किसी भी अवधि के लिए;

स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के पश्चात् कि भुगतान में विलंब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना था के नियंत्रण से बाहर परिस्थियों के कारण हुआ था, प्राधिकृत किया जाएगा, तथा ऐसे प्रत्येक मामले में हुए प्रशासनिक विलंब की पूर्णतया जांच की जाएगी, और यदि आवश्यकता हो तो कार्यवाही की जाएगी ।

(5) यदि कोई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में ब्याज की राशि जमा नहीं की जाएगी । परन्तु यदि बाद में वह ब्याज की मांग करता है तो उस वर्ष की पहली अप्रैल से जिस वर्ष वह ब्याज की मांग करता है ब्याज की राशि जमा कर दी जाएगी ।

(6) उन राशियों, जो विनियम-19 या 20 के अंतर्गत निधि में जमाकर्ता के खाते में वापस जमा की जाती है, पर ब्याज की परिकलना ऐसी दर, जो इस विनियम के उप-विनियम (1) के अंतर्गत उत्तरोत्तर निर्धारित की जाए और इस विनियम में उल्लिखित ढंग से की जाएगी।

(7) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्ता ने निकासी की तारीख को उसके खाते में जमा धन से अधिक धन निकाला है, तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि, चाहे वह अग्रिम के रूप से निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हो या निधि से अंतिम भुगतान के रूप में निकाली गई हो, उसे जमाकर्ता को एक मुश्त राशि में ब्याज सहित वापस जमा करना होगा, ऐसा न करने पर, जमाकर्ता की परिलब्धियों में से इसकी एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि, जमाकर्ता की परिलब्धियां के आधे से अधिक है तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वेतन अंशों से तब तक की जाएगी जब तक कि वह राशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती है । इस उप-विनियम के लिए ब्याज की दर जो कि जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया जाएगा उप-विनियम (1) के अंतर्गत भविष्य निधि में बकाया राशि पर देय सामान्य ब्याज दर से 2½ प्रतिशत ज्यादा होगा । अधि-निकासी पर वसूल किया गया ब्याज बोर्ड के खाते में विशिष्ट उप-शीर्षक "भविष्य निधि से अधि-निकासियों पर ब्याज-अन्य प्राप्तय" में जमा किया जाएगा ।

13. निधि से अग्रिम

(1) उपयुक्त मंजूरीदाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता को अग्रिम धन जो पूरे रुपयों में होगा तथा जमाकर्ता के तीन माह के वेतन या भविष्य निधि में उसके खाते में जमा धन के आधे, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न हो, निम्नलिखित एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए मंजूर कर सकता है :—

(अ) जमाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या अपंगता से संबंधित व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का भुगतान करने के लिए;

(ब) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, पर व्यय की पूर्ति करने के लिए; नामत :

(1) माध्यमिक स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा के लिए; और

(2) माध्यमिक स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी भी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए; बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम न हो ।

(स) जमाकर्ता हो हैसियत के अनुसार अनिवार्य खर्चों की अदायगी के लिए जो सगाई, विवाह, अंतिम संस्कार या समारोह पर रीति-रिवाज के अनुसार जमाकर्ता को खर्च करने पड़ते हैं;

(द) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में किसी आश्रित के विरुद्ध या द्वारा चलाई गई कानूनी कार्यवाई का व्यय वहन करने के लिए । इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम, इसी प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से ग्राह्य किसी भी अग्रिम के अतिरिक्त होगा;

(ध) जमाकर्ता द्वारा अपने बचाव के खर्च को वहन करने के लिए, जहां वह कथित कार्यालय कदाचरण की जांच-पड़ताल में अपना बचाव करने के लिए वकील करता है;

(न) प्लाट या अपनी रिहायिश के लिए मकान या फ्लैट बनाने या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित प्लाट या फ्लैट की कीमत अदा करने का खर्चा वहन करने के लिए।

(2) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि संबंधित जमाकर्ता को उप-विनियम (1) में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

(3) किसी भी जमाकर्ता को लिखित विशेष कारणों के अलावा, अन्य कारणों के लिए उप-विनियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक या जब तक किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त वापस नहीं की जाती है, कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा :

बशर्ते—

अग्रिम की राशि किसी भी हालत में निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा अंशदान तथा उस पर ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) जब उप-विनियम (3) के अंतर्गत पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त की वसूली किए बिना ही अग्रिम मंजूर कर दिया जाए तो पहले अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि को अब मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली की किस्तों को समेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(5) अग्रिम मंजूर करने के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-23 के उप-विनियम (3) के खंड-(2) के अंतर्गत लेखा अधिकारी को भेजा गया था, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

नोट 1 : इस विनियम के उद्देश्य के लिए वेतन में वेतन, महंगाई भत्ता जहां ग्राह्य हो सम्मिलित होंगे ।

नोट 2 : जमाकर्ता को विनियम-13 के उप-विनियम (1) की मद (ब) के अंतर्गत प्रत्येक छः मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी।

14. अग्रिम की वसूली

(1) जमाकर्ता से अग्रिम की वसूली उतनी ही बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी जैसाकि मंजूरी दाता प्राधिकारी निदेश दे; परन्तु ऐसी किस्तों की संख्या, जब तक कि जमाकर्ता स्वयं ऐसा न चाहे, 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां विनियम-13 के उप विनियम (3) के अंतर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, तो मंजूरीदाता प्राधिकारी 24 से अधिक किस्तों निर्धारित कर सकता है परन्तु किसी भी हालत में यह 36 से अधिक नहीं होंगी। जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार निर्धारित किस्तों से कम किस्तों में भी अदायगी कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों में होगी। ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आवश्यक हो, अग्रिम की राशि घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

(2) वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसाकि विनियम-10 में अंशदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह अग्रिम लेने के माह के अनुवर्ती माह के वेतन से आरम्भ होगी। जब जमाकर्ता निर्हेतु अनुदान ले रहा हो या कलैंडर मास में दस दिन या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो जिसमें या तो कोई अवकाश वेतन प्राप्त न हो या अवकाश वेतन, अर्ध वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो, जैसा भी स्थिति हो, जमाकर्ता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर उसको मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा अग्रिम की वसूली स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर किया गया है और वह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद में वसूली पूरी होने से पहले ही नामंजूर कर दिया जाता है तो लिए गए अग्रिम की पूरी राशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलंब निधि में वापस जमा की जाएगी, जिसके न करने पर, लेखा अधिकारी उसकी परिलब्धियों में से एक मुश्त या मासिक किस्तों में, जो 12 से अधिक न हों, जैसा भी विनियम-13 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए, कटौती करके वसूल करने के आदेश देगा :

परन्तु—

इस प्रकार के अग्रिम को नामंजूर करने से पहले जमाकर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस संदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित में स्पष्ट करे कि अग्रिम की वसूली क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता उक्त 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उसे निर्णय हेतु अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और यदि जमाकर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो अग्रिम की वसूली इस उप-विनियम में विहित रीति से आरम्भ कर दी जाएगी।

(4) इस विनियम के अंतर्गत की गई वसूलियां निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएंगी।

15. अग्रिम का गलत प्रयोग

इन नियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई संदेह हो जाता है कि विनियम-13 के अंतर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया गया धन मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन

पर खर्च किया गया है, तो वह अपने संदेह के कारणों को जमाकर्ता को सूचित करेगा और उससे ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्या अग्रिम की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च की गई है जिसके लिए मंजूर की गई थी। यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी, जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह जमाकर्ता को इस अग्रिम की राशि को तुरन्त निधि में जमा करने का निदेश देगा। ऐसा न करने पर जमाकर्ता, चाहे वह अवकाश पर ही हो, उसकी परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों के अर्धांश से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाए।

नोट : इस विनियम में शब्द "परिलब्धियां" में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं किया जाता है।

16. निधि में धन की निकासी

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन धन निकासी की मंजूरी विनियम-13 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा—

(क) जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा (सेवा व्यवधान की अवधि यदि कोई हो, को मिला कर) पूर्ण करने के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज की राशि में से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के लिए मंजूरी दी जाएगी, नामत :—

(अ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित का व्यय वहन करने के लिए, जैसे :—

(1) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक पाठ्यक्रम के लिए; और

(2) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए;

(ब) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी की सगाई/विवाह समारोह के व्यय को वहन करने के लिए;

(ख) जमाकर्ता द्वारा 15 वर्ष की सेवा (सेवा में व्यवधान वास्तव में आश्रित व्यक्ति की बिमारी, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए।

(ग) जमाकर्ता द्वारा 15 वर्ष की सेवा (सेवा में व्यवधान की अवधि यदि कोई हो, को मिलाकर) पूरी करने के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए दी जाएगी, नामत :—

(अ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल की कीमत सहित, उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए;

(ब) अपनी रिहायश के लिए उपयुक्त मकान बनाने के लिए या लेने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(स) अपनी रिहायश के लिए मकान बनाने हेतु गृह-स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(द) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपार्जित फ्लैट या मकान के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन-परिवर्तन करने के लिए;

(य) जमाकर्ता द्वारा कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से बनाए गए मकान की मरम्मत या परिवर्धन-परिवर्तन या अनुरक्षण के लिए;

(र) उपर्युक्त खंड (स) के अंतर्गत लिए गए गृह-स्थल पर गृह निर्माण के लिए।

(ग) जमाकर्ता के सेवा-निवृत्त होनेकी तारीख से पहले 6 महीने के भीतर, निधि में उसके खाते में जमा धन से, कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दोनों उपार्जित करने के लिए दी जाएगी;

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता द्वारा स्व-पोषी वित्त व्यवस्था एवं अंशदान पर आधारित बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना में एक वर्ष में दिए गए अंशदान की राशि के बराबर दी जाएगी।

नोट 1 : जमाकर्ता जिसने शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना के अंतर्गत अग्रिम का लाभ उठाया हो या उसे बोर्ड के स्रोतों से इस संबंध में कोई मदद दी गई हो, इस खंड (ख) के उप-खंड (अ), (स), (द) और (र) के अंतर्गत इनमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और विनियम-17 के उप-विनियम (1) के उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण की अदायगी के उद्देश्य को लिए भी अंतिम निकासी की मंजूरी का पात्र होगा।

यदि जमाकर्ता के पास पैतृक मकान है या अपने कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड से ली गई ऋण सहायता से मकान बनाया है, वह अपने कार्य स्थल में गृह स्थल खरीदने या दूसरा मकान बनाने या बना-बनाया फ्लैट अर्जित करने के लिए खंड (ख) के उप-खंड (अ), (स) और (र) के अंतर्गत अंतिम निकासी का पात्र होगा।

नोट 2 : खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (ब), (य) या (र) के अंतर्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी तभी दी

जाएगी जब उसने बनाए जाने वाले मकान या मकान में किए जाने वाले परिवर्धन-परिवर्तन की योजना, उस क्षेत्र जहां वह मकान-स्थल या मकान स्थित है, की स्थानीय नगरपालिका से विधिवत् अनुमोदित, प्रस्तुत की हो और केवल उन्हीं मामलों में जहां योजना अनुमोदित करवा ली गई है।

नोट 3 : खंड (ख) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत मंजूर की गई राशि जमाकर्ता के खाते में, उपखंड (अ) के अंतर्गत पिछली निकासी की राशि को मिलाकर और पिछली निकासी की राशि को कम करके, आवेदन की तारीख को बकाया राशि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी। फार्मूला जो अपनाया जाएगा : (उस तारीख को बकाया जमा + (जमा विवादास्पद मकान के लिए ली गई निकासी) – (घटा) पिछली निकासी (निकासियों) की राशि, कर तीन-चौथाई।

नोट 4 : खंड (ख) के उप-खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत निकासी की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी जहां गृह-स्थल या मकान जमाकर्ता की पत्नी या पति के नाम है ; बशर्ते कि जमाकर्ता द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामांकन में प्रथम नामित हो।

नोट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए निकासी की मंजूरी एक बार ही दी जाएगी । लेकिन भिन्न बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा भिन्न अवसरों पर अस्वस्थता, अथवा मकान या फ्लैट में परिवर्धन-परिवर्तन जिसके लिए उस क्षेत्र जहां मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना दी गई हो, को एक ही उद्देश्य नहीं माना जाएगा। खंड (ख) के उपखंड (अ) या (ब) के अंतर्गत एक ही मकान को पूरा करने के लिए, दूसरी बार या उसके उपरान्त निकासी की मंजूरी नोट-3 में निर्धारित सीमा तक ही दी जाएगी।

नोट 6 : यदि विनियम-12 के अंतर्गत उसी उद्देश्य और उसी समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा है तो इस विनियम के अंतर्गत निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(2) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के बारे में, अभी हाल ही की अंशदायी भविष्य निधि लेखे की उपलब्ध विवरणी से, बाद में जमा अंशदान के प्रमाण सहित, संतुष्ट करने की स्थिति में हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीतर, वापिस किए जाने योग्य अग्रिम (Refundable advance) की तरह ही, धन निकालने की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता को पहले मंजूर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम (Refundable advance) या धन-निकासी को भी ध्यान में रखेगा । तथापि, जहां जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के बारे में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आवेदित धन निकासी (Withdrawal applied for) की ग्राह्यता के बारे में संदेह हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित धन-निकासी की ग्राह्यता के निर्धारण के उद्देश्य के लिए लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का प्रमाण मांगा जाएगा। धन-निकासी की मंजूरी में मुख्यतया अंशदायी भविष्य निधि लेखा की संख्या तथा लेखे का हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया जाए तथा मंजूरी की प्रति हमेशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाए । मंजूरी वाला प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि मंजूर की गई धन-निकासी की लेखा अधिकारी द्वारा जमाकर्ता की लेखा-बही में दर्ज कर लिया गया है। यदि लेखा अधिकारी यह सूचित करता है कि मंजूर की गई राशि जमाकर्ता के खाते में जमा राशि से अधिक है या अन्यथा ग्राह्य नहीं है, तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राशि उसे तुरन्त एकमुश्त निधि में वापस जमा करनी होगी और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा उस राशि को उसकी एरिलब्धियों से एकमुश्त या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए, में वसूल करने के आदेश देगा।

(3) धन-निकासी की मंजूरी के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-23 के उप-विनियम (3) के खण्ड (।।) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो, राशि वित्त एवं लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

17. धन निकासी की शर्तें

(1) जमाकर्ता द्वारा विनियम-16 में दिए गए एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी एक समय में निधि में उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की रकम के ½ से या जमाकर्ता के छः महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक, निधि में जमाकर्ता के खाते में अंशदान की रकम और उस पर ब्याज की रकम के ¾ तक की मंजूरी, निम्नांकित पर उचित ध्यान देते हुए, दे सकता है :

(1) उद्देश्य जिसके लिए राशि निकाली जा रही है;

(2) जमाकर्ता की हैसियत; और

(3) निधि में जमाकर्ता के खाते में अंशदान और उस पर ब्याज की रकम :

परन्तु—

किसी भी मामले में, विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन-निकासी की अधिकतम रकम शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम मंजूर किए जाने की योजना के नियम-2(ए) और 3(बी) में समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

परन्तु—

यदि जमाकर्ता ने शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण के लिए अग्रिम योजना का लाभ उठाया है या इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता मंजूरी की गई हो, तो इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गई राशि, पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत लिए गए अग्रिम या बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से ली गई सहायता सहित, पूर्वोक्त योजना के नियम 2(ए) और 3(बी) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

नोट 1 : विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (अ) के अंतर्गत मंजूर की गई निकासी राशि

किस्तों में निकाली जाए, जिनकी संख्या, मंजूरी की तारीख से 12 कैलेण्डर मास की अवधि में, चार से अधिक नहीं होगी।

नोट 2 : उन मामलों जहां जमाकर्ता को खरीदे गए गृह-स्थल या मकान या फ्लैट, अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा बनाए गए मकान या फ्लैट का भुगतान किस्तों में करना है, तो उसे जब भी ऐसी किस्त के भुगतान के लिए कहा जाए, निकासी की अनुमति दी जाएगी।

(2) जिस जमाकर्ता को विनियम-16 के अन्तर्गत निधि से धन-निकासी की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाता प्राधिकारी को उपयुक्त समय के अन्दर, जैसा कि उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, इस बात से संतुष्ट करेगा कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी निकाली गई सारी रकम या उसके उतनी ही रकम, जिसके लिए उस उद्देश्य के लिए आदेशन नहीं किया गया हो जिसके लिए वह निकाली गई थी, जमाकर्ता द्वारा निधि में एक मुश्त वापस जमा की जाएगी और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी किस्तों में, जितनी अध्यक्ष नियत करें, में वसूल करने के आदेश देगा।

परन्तु—

इस उप-विनियम के अन्तर्गत निकाली गई रकम की वसूली आरम्भ करने से पहले, जमाकर्ता को सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि निकाली गई रकम की वसूली क्यों न की जाए; और यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी इस उप-विनियम में निर्धारित अनुसार वसूली प्रारम्भ कर देगा ।

(3) (अ) जिस जमाकर्ता को विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खण्ड (स) के उप-खण्ड (अ), (ब) या (स) के अन्तर्गत, निधि में उनके खाते में अंशदान और उस पर ब्याज की जमा राशि में से धन निकालने की अनुमति दी गई हो तो वह ऐसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपार्जित किए गए मकान या खरीदे गए गृह-स्थल का कब्जा, चाहे बिक्री, रेहन (बोर्ड के पक्ष में रेहन करने के अलावा), उपहार, अदली-बदली या अन्यथा, अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं छोड़ेगा । परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी :—

(1) मकान या मकान-स्थल जो किसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, पट्टे पर दिया जा रहा हो,

या

(2) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य निकाय, जो नये मकान के निर्माण या वर्तमान मकान में परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए ऋण अग्रिम देती है, के पक्ष में रेहन किया जा रहा हो ।

(ब) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की घोषणा करेगा कि मकान या मकान-स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कब्जे में ही है या पूर्वोक्तानुसार रेहन कर दिया है, अन्यथा अन्तरित किया है या किराये पर दिया है और यदि ऐसा कहा जाए, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को या उससे पहले मूल बिक्री, रेहन या पट्टा पत्र और वे कागजात भी जिसमें उनका सम्पत्ति पर अधिकार आधारित है, पेश करेगा ।

(स) यदि जमाकर्ता सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय, मकान या मकान की जगह का कब्जा अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना छोड़ देता है तो इस प्रयोजन के लिये गए धन को निधि में तुरन्त एक मुश्त वापस जमा करेगा, और ऐसा न करने पर मंजूरीकर्ता अधिकारी जमाकर्ता के मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उपयुक्त अवसर देने के बाद, उस रकम को जमाकर्ता की परिलब्धियों में से एक मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी प्राधिकारी निर्धारित करे, वसूल करवाएगा ।

नोट-1 : जमाकर्ता जिसने बोर्ड से ऋण लिया है और उसके बदले में मकान या मकान-स्थल को बोर्ड के पक्ष में बन्धक किया है, को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए घोषणा-पत्र देना होगा; नामत:

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मकान या मकान-स्थल, जिसके निर्माण के लिए या जिसे खरीदने के लिए मैंने भविष्य निधि से अन्तिम निकासी ली है, मेरे कब्जे में ही है लेकिन बोर्ड के पक्ष में बंधक है ।"

18. अग्रिम को निकासी में बदलना

जिस जमाकर्ता ने विनियम-13 के अन्तर्गत विनियम-16 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अग्रिम लिया है या भविष्य में ले, वह अपनी इच्छानुसार, विनियम-16 और 17 में दी गई शर्तों से सन्तुष्ट होने पर, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध करके, इसमें बकाया रकम को अन्तिम रूप से धन निकालने में रूपान्तरित कर सकता है ।

नोट : विनियम-17 के उप-विनियम (1) के उद्देश्य के लिए, ऐसे रूपान्तरण के समय जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का अंशदान उस पर ब्याज सहित + (जमा) अग्रिम की बकाया राशि, को बकाया राशि माना जाएगा । प्रत्येक निकासी को पृथक-पृथक माना जाएगा और वही सिद्धांत एक से अधिक रूपान्तरणों के अवसर पर भी लागू होगा ।

19. निधि में जमा राशि की अन्तिम निकासी

जब जमाकर्ता नौकरी छोड़ेगा तो निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे भुगतान करने योग्या हो जाएगी :

परन्तु—

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो और बाद में बहाल कर दिया जाता है, यदि बोर्ड ऐसा

चाहे, तो वह (जमाकर्ता) इस नियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई किसी भी राशि को, विनियम-12 में दी गई दर से विनियम-20 के उपबंध की व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज सहित, निधि में वापस जमा करेगा। इस प्रकार वापस की गई रकम को निधि में विनिय-6 के प्रावधानों के अनुसार जमाकर्ता के अंशदान व उस पर ब्याज की राशि को उसके अंशदान व उस पर ब्याज के परिचायक भाग में तथा बोर्ड के अंशदान व उस पर ब्याज की राशि को बोर्ड के अंशदान व उस पर ब्याज के परिचायक भाग में जमा कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण-1 जमाकर्ता, जिसे अस्वीकृत छुट्टी मंजूर की जाती है, को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से या बढ़ाई गई सेवावधि की समाप्ति पर सेवा से मुक्त समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण-2 अनुबंध पर नियुक्त या वह जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में बिना किसी व्यवधान या व्यवधान सहित पुनर्नियोजित हुआ हो, के अलावा अन्य जमाकर्ता को सेवा से मुक्त नहीं समझा जाएगा।

यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलम्ब नियोजन के मामले में भी प्रयुक्त होगा।

स्पष्टीकरण 3 जब किसी जमाकर्ता, जो अनुबन्ध पर नियुक्त हो या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा में बिना व्यवधान के केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है, तो जमाकर्ता के अंशदान व बोर्ड के अंशदान की रकम उस पर ब्याज सहित, जमाकर्ता को भुगतान नहीं की जाएगी, बल्कि उस सरकार/निकाय की सहमति से उस सरकार/निकाय में जमाकर्ता के नए खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

स्थानान्तरण में, केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड की लिखित अनुमति से नियुक्ति स्वीकार करने पर दिया गया त्याग-पत्र भी शामिल है। नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए लिया गया समय, यदि वह बोर्ड के कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण समय से अधिक नहीं है, तो सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा :

परन्तु—

उस जमाकर्ता जो सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा व्यक्त करता है, के अंशदान और बोर्ड के अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित, यदि वह ऐसा चाहता है, उस उद्यम में उसके नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी यदि वह उद्यम इसके लिए सहमत हो। यदि जमाकर्ता इस धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता है या सम्बंधित उद्यम में किसी भविष्य निधि का संचालन नहीं है, तो पूर्वोक्त राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाएगा।

20. जमाकर्ता की सेवा-निवृत्ति :

जब जमाकर्ता—

(अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो,

(ब) जब छुट्टी पर हो, सेवा-निवृत्ति की अनुमति दे दी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,

तो निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की राशि जमाकर्ता को उसके द्वारा इस संबंध में आवेदन, जो कि लेखा अधिकारी को दिया गया हो, करने पर भुगतान योग्य हो जाएगी।

परन्तु—

यदि जमाकर्ता कार्य पर वापस आ जाता है तो, जहां बोर्ड अन्यथा निर्णय कर ले लेता है कि सिवाय, उसे इस विनियम के अनुसरण में भुगतान की गई रकम को विनियम-12 में व्यवस्थित दर से उस पर ब्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में या अंशतः नकद और अंशतः प्रतिभूतियों में किश्तों द्वारा या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा या अन्यथा, जैसा भी नियम-13 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदेश दे, निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी।

21. जमाकर्ता की मृत्यु पर कार्य-प्रणाली

जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय हो जाने से पहले या जहां राशि देय हो गई है, उसका भुगतान होने से पहले ही जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, विनियम-22 के अन्तर्गत किसी भी कटौती की शर्त पर :—

(1) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो :—

(अ) यदि विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार जमाकर्ता द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में नामांकन किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बन्धित है, नामांकन में दिखाए गए अनुपात के अनुसार उसके मनोनीत या मनोनीतों को देय हो जाएगी;

(ब) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में ऐसा कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा रकम के किसी अंश से ही सम्बंधित है, तो सारी रकम या उसका भाग जिससे नामांकन सम्बंधित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, कोई भी नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में होने पर भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर अंशों में देय हो जाएगी :

परन्तु निम्नांकित को कोई हिस्सा देय नहीं होगा :—

(1) उसके पुत्र जो व्यस्क हो गए हैं;

(2) उसके मृतक पुत्र के पुत्रों को व्यस्क हो गए हों;

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

यदि उसके परिवार में खण्ड (1), (2), (3) और (4) में दिखाए गए सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है;

परन्तु—

यह भी कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें और बच्चा या बच्चे केवल उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे, जिस भाग को वह पुत्र, यदि वह जीवित रहता और प्रथम उपबन्ध के अनुच्छेद (1) की व्यवस्थाओं से विमुक्त होता, जमाकर्ता से प्राप्त करता ।

नोट : इन विनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता के परिवार के किसी सदस्य को देय राशि, भविष्य निधि अधिनियम 1925 कर धारा-3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसे सदस्य को प्रदान की जाएगी ।

(ii) जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में नामांकन किया हो, तो निधि में उसके खाने में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बधित हो, मनोनयन में दिखलाये गए अनुपात में उसके नामांकित या नामांकितों को देय हो जाएगी ।

नोट–1 : जब नामित, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-2 की उप-धारा (सी.) में, जमाकर्ता का आश्रित है तो उस अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत ऐसे नामित को प्रदान की जाएगी ।

नोट–2 : जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और उसके द्वारा विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार दिया गया नामांकन विद्यमान नहीं है अथवा यदि ऐसा नामांकन उसके खाते में जमा राशि के अंश से ही सम्बधित है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी.) और खण्ड (सी.) के उप-खण्ड (i.i) की सुसंगत व्यवस्थाएं, परी राशि या उसके अंश जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, के लिए लागू है ।

21-क. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

जमाकर्ता की 30 सितम्बर, 1991 को या उससे पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम-21-ख लागू नहीं होता हो, उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को लेखा अधिकारी जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व तीन वर्ष के दौरान उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की औसत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा :—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में सकाया रकम उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न सीमाओं से कम न हुई हो :—

(i) रु. 4,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1300/- या अधिक हो;

(i') रु. 2500/-, उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 900/- या अधिक हो परन्तु रु. 1300/- से कम हो;

(iii) रु. 1500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- या अधिक परन्तु रु. 900/- से कम हो;

(iv) रु. 1000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- से कम हो;

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।

21-ख. जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना

जमाकर्ता की मृत्यु पर लेखा अधिकारी जमाकर्ता के खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में अर्थात् बकाया रकम के बराबर अतिरिक्त रकम का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा :—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया निम्नवत् सीमाओं से कम न रहा हो :—

(1) रु. 12,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 4000/- या अधिक हो;

(2) रु. 75,00/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 2900/- या अधिक हो परन्तु 4000/- से कम हो;

(3) रु. 4500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- या अधिक हो परन्तु रु. 2900/- से कम हो;

(4) रु. 3000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- से कम हो ।

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त राशि रु. 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की हो ।

नोट–1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व प्रत्येक 36 महिनों के अन्त में बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए, उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि की जांच के लिए भी—

(अ) मार्च के अन्त में बकाया राशि में विनियम-11 की शर्तों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा, और

(ब) यदि पूर्वोक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्च नहीं होता है तो उक्त 36 मासों के अन्तिम मास के अन्त में बकाया राशि में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु होती है, के प्रारम्भ से लेकर उक्त अन्तिम मास तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा ।

नोट–2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही होगा । यदि देय राशि में रुपये का अंश भी शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा (जैसे 0.50 पैसे को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा) ।

नोट–3 : इस योजना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि बीमा धन के स्वरूप की है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा (3) के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती है ।

नोट–4 : यह योजना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लागू होती है जो किसी सरकारी विभाग के स्वायत्तशासी संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें स्थानान्तरित हो जाते हैं और ऐसे स्थानान्तरण पर उनको दिए गए विकल्पों की शर्तों के अनुसार इन विनियमों के अनुसार निधि में अंशदान करने का विकल्प देते हैं ।

नोट–5 : (अ) बोर्ड के उस कर्मचारी के मामले में, जो विनियम-4 के अन्तर्गत इस निधि का सदस्य बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी भी स्थिति हो, उसके निधि का सदस्य बनने की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि, पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए उसके अंशदान और नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गई हो, अनुच्छेद (अ) और (स) के लिए गिनी जाएगी ।

(ब) सावधि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के मामले में केवल ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से की गई सेवा अवधि, जैसी भी स्थिति हो, इस विनियम के उद्देश्य के लिए गिनी जाएगी ।

(स) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होती है ।

नोट–6 : इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निधि लेखा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार तैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं ।

22. कटौतियां

शर्त यह है कि निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का निधि से भुगतान कर दिए जाने से पहले ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का बोर्ड द्वारा किए अंशदान व उस पर विनियम-11 एवं 12 के अन्तर्गत ब्याज की राशि से अधिक कम कर दे,

(क) अध्यक्ष उसमें से—

परन्तु—

(1) ऐसे अंशदान और ब्याज की परिचायक राशियों की कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के निदेश देगा, यदि जमाकर्ता को दुर्व्यवहार दिवालियापन या अदक्षता के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है ;

परन्तु—

जहां अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसी कटौती जमाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई पैदा कर देगी, तो वह आदेश द्वारा उसे ऐसी कटौती से, जो ऐसे अंशदान तथा ब्याज की रकम, जो जमाकर्ता को स्वास्थ्य आधार पर सेवा-निवृत्त होने की अवस्था में देय होती के दो-तिहाई से अधिक नहीं होगी, मुक्त कर सकता है ;

परन्तु यह भी कि—

यदि नौकरी से निकाले जाने के ऐसे आदेश बाद में रद्द कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार काटी गई राशि उसकी सेवा में बहाली होने पर उसके खाते में जमा कर दी जाएगी ।

(2) ऐसे अंशदान एवं ब्याज की परिचायक राशियों की कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के निदेश देगा, यदि जमाकर्ता नौकरी पर लगने के पांच साल के अन्दर नौकरी से त्याग-पत्र दे देता है या मृत्यु, सेवा-निवृत्ति आयु होने या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाने या पद की समाप्ति या स्थापना की कमी जैसे कारणों के अलावा अन्यथा कारणों से बोर्ड का कर्मचारी नहीं रहता है ।

(ख) अध्यक्ष उसमें से जमाकर्ता द्वारा बोर्ड को देय देनदारी के अन्तर्गत किसी भी रकम कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के आदेश देगा ।

टिप्पणी–1 : इस विनियम के खण्ड-क के उप-खण्ड (ii) के उद्देश्य के लिए—

(अ) पांच साल की अवधि की गणना, बोर्ड में जमाकर्ता की निरन्तर सेवा के प्रारम्भ से की जाएगी;

(ब) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अन्तर्गत या सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त-शासी संगठन में बिना किसी व्यवधान के और बोर्ड की उचित अनुमति से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया त्याग-पत्र, बोर्ड की सेवा से त्याग-पत्र नहीं समझा जाएगा।

नोट 2 : इस विनियम के अन्तर्गत अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग, उसमें उल्लिखित राशियों के संबंध में, विनियम-13 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिये अग्रिम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

23. निधि की रकम के भुगतान का तरीका

(1) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम अथवा विनियम-22 के अन्तर्गत किसी कटौती के बाद उसकी बकाया राशि देय हो जाती है, तो अपने आप को सन्तुष्ट करने के बाद, जब उस विनियम के अन्तर्गत ऐसी किसी कटौती का निदेश नहीं दिया गया हो, कि कोई कटौती नहीं की जानी है, लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप-विनियम (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान करे।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत किसी रकम का भुगतान किया जाना है, पागल है और उसकी सम्पत्ति के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इसके लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान प्रबन्धक को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु--

जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया हो और जिस व्यक्ति को रकम देय है उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया गया हो तो भुगतान जिलाधीश के आदेश पर भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा-95 की उप-धारा (1) की शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो उस पागल के लिये भारित है और लेखा अधिकार, जितनी रकम उपयुक्त समझेगा, उस व्यक्ति, जो पागल के लिये भारित है, को भुगतान करेगा और अधिशेष राशि, यदि कोई हो, या उसका कोई भाग, जैसा भी वह उपयुक्त समझे, पागल के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्रित है, के निर्वाह हेतु देगा।

(3) रकम का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमें देय होंगी वह भुगतान को भारत में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेंगे। जमाकर्ता द्वारा भुगतान के दावे के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी, नामत :-

(1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक जमाकर्ता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन करने के लिये या तो उसकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व या उसकी निवृत्ति की अपेक्षित तारीख, यदि पहले हो, से पहले आवश्यक आवेदन-पत्र भेजेगा जिसमें यह हिदायतें होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर वापस भेज दें। जमाकर्ता विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन निम्नांकित के लिए किया जाएगा :

(अ) निधि में उसके खाते में जमा रकम, जो उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख या निवृत्ति की अपेक्षित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए वर्ष की लेखा विवरणी में दिखाई गई है, के लिये; या

(ब) यदि जमाकर्ता को लेखा-विवरणी प्राप्त नहीं हुई हो तो उस मामले में उसके बही-खाता में अंकित रकम के लिये।

(2) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन-पत्र को, जमाकर्ता द्वारा लिए गए अग्रिमों, जो अभी विद्यमान हैं, के प्रति की गई वसूलियों तथा किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं का उल्लेख करके, और जमाकर्ता द्वारा लेखा अधिकारी द्वारा जारी पिछली विवरणी के बाद निकाले गए धन, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करके, लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा।

(3) लेखा अधिकारी, बही-खाता से सत्यापन करने के बाद, आवेदन-पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम-से-कम एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा, किन्तु यह रकम सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य होगी।

(4) अनुच्छेद-3 में वर्णित प्राधिकार भुगतान की पहली किस्त के लिये होगा। इस उद्देश्य के लिये दूसरा प्राधिकार सेवा-निवृत्ति के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो जारी किया जाएगा। यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन में वर्णित रकम के बाद किये गए अंशदान तथा उन अग्रिमों, जो पहले आवेदन-पत्र के समय चालू थे, के प्रति वापिस की गई किस्तों से संबंधित होगा।

(5) अनन्तिम भुगतान के लिये लेखा अधिकारी को आवेदन-पत्र अग्रप्रेषित करने के बाद, अग्रिम/धन-निकासी की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन राशि संबंधित लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा ।

पैंशन योग्य सेवा

24. पैंशन योग्य सेवा में स्थानान्तरण पर कार्यविधि :

(1) यदि जमाकर्ता स्थाई तौर पर बोर्ड के अधीन पैंशन-योग्य सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है तो वह अपनी इच्छानुसार–

(अ) निधि में अंशदान जारी रखने का पात्र होगा, इस मामले में वह किसी पैंशन का पात्र नहीं होगा;

या

(ब) ऐसी पैंशन-योग्य सेवा में पैंशन अर्जित करने का पात्र होगा, इस मामले में वह अपने स्थाई स्थानान्तरण की तारीख से—

(1) निधि मे अंशदान करने का पात्र नहीं रहेगा;

(2) निधि में उसके खाते में बोर्ड के अंशदान की जमा राशि उस पर ब्याज सहित बोर्ड को वापस की जाएगी;

(3) निधि में उसके खाते में जमा उसके अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते मे अन्तरित कर दी जाएगी जिसमें वह उस निधि के नियमानुसार अंशदान करेगा; और

(4) वह स्थाई स्थानान्तरण की तारीख से पूर्व की सेवा को सुसंगत पैंशन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सीमा तक पैंशन सेवा के लिये गणना करने का पात्र होगा।

(2) जमाकर्ता उप-विनियम-1 के अन्तर्गत उसके पैंशन-योग्य सेवा में स्थाई स्थानान्तरण के आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर लेखा अधिकारी को अपना विकल्प देगा और यदि उक्त समयावधि के दौरान लेखा अधिकारी को कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि जमाकर्ता ने उक्त उप-विनियम के खण्ड (ब) में दिये अनुसार अपना विकल्प दिया है।

25. कार्यविधि विनियम

(1) अंशदान के भुगतान के समय लेखा-संख्या उद्धृत करना : जमाकर्ता जब भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकद कर रहा हो तो उस समय वह लेखा अधिकारी द्वारा सूचित किए गए निधि में अपने लेखा-संख्या को उद्धृत करेगा।

26. जमाकर्ता को लेखे की वार्षिक विवरणी देना :

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद यथाशीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि मे उसके लेखे का विवरण प्रेषित करेगा, जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक बकाया, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, वर्ष के 31 मार्च तक जमा की गई ब्याज की कुल रकम और उस तारीख तक अन्तिम बकाया दिखाया जाएगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या जमाकर्ता—

(अ) विनियम-5 के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन में किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है;

(ब) ने परिवार अर्जित कर लिया है, उन मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियम-5 के उप-विनियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में न दिया हो।

(2) जमाकर्ता को वार्षिक विवरणी की विशुद्धता से स्वयं को सन्तुष्ट करना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरणी प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान मे लाना चाहिये।

(3) जमाकर्ता यदि चाहेगा तो लेखा अधिकारी, वर्ष में केवल एक बार, जमाकर्ता को उस अन्तिम माह जिसके लिये उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कुल जमा रकम की सूचना देगा।

सामान्य

27. व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता देना

जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि इन विनियमों के किसी विनियम के प्रचलन से जमाकर्ता को अनुचित कठिनाई होती है या होने की सम्भावना है, तो वह इन विनियमों में अन्यथा होते हुए भी, ऐसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से निपटाएगा जो उसे उचित लगे।

28. व्याख्या : यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

29. निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

30. निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिमानों पर और प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

31. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के परिवर्धन/स्पष्टीकरण में अपने कर्मचारियों के लिये जारी किये गए सभी निर्णय एवं आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी भविष्य निधि नियमों (भारत), 1962 में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर किये गए संशोधन/परिशोधन/परिवर्धन आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

32. इन विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन वित्त मंत्रालय/पैंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची [विनियम 5 (3)]

नामांकन पत्र

मैं,.....एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों जो, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम–2 में परिभाषित है, मेरे परिवार का/ के सदस्य हैं/नहीं हैं/है/नहीं है को निधि में मेरे खाते में जमा राशि को, जिसके देय होने से पहले या देय हो जाने पर भुगतान होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में, निम्नानुसार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं।

नामित (तों) का नाम व पूरा पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	नामित की आयु	नामित (तों) को देय भाग	घटना जिसके घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस/उन व्यक्ति (यों), यदि कोई हो, जिन्हें जमाकर्ता की मृत्यु से पहले ही नामित की मृत्यु हो जाने की अवस्था में नामित का अधिकार चला जाएगा, का नाम पूरा पता व उसका/ उनका जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	यदि नामित जमाकर्ता के परिवार का सदस्य नहीं है जैसा कि विनियम–2 में परिभाषित है, तो उन कारणों का उल्लेख करें।

दिनांक : तारीख .....मास.....19 , स्थान :.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता हस्ताक्षर

1.....

2.....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्थान

श्री/श्रीमती.....पदनाम.....द्वारा नामाकन

नामांकन की प्राप्ति की तारीख .....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

तारीख.....

जमाकर्ता के लिए निर्देश—

(अ) अपना नाम भरा जाए ।

(ब) निधि का नाम उचित रूप से पूरा किया जाए।

(स) शब्द "परिवार" की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1990 में दी गई है पुनः प्रस्तुत की जाती है।

"परिवार" से अभिप्राय :—

(1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते है, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(2) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते है, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है।

नोट : —बच्चे से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे से है और इसमें गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित है जहां पर कि वैयक्तिक कानून, जिससे जमाकर्ता प्रशासित है, द्वारा मान्य हो।

(द) यदि एक ही व्यक्ति है तो कालम 4 में नामित के सामने शब्द "पूरा" लिखा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते है, तो भविष्य निधि में जमा राशि में से प्रत्येक नामित को देय हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ई) कालम 5 में नामित की मृत्यु के आकस्मिकता घटना के तौर पर उल्लेख नहीं करनी चाहिये ।

(र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करें।

(ल) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिरछी रेखा खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद इसमें और को प्रविष्टी न कर सके ।

सं. सी-11013/1/88 रा. रा. क्षे. यो. बो.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, जैसे :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

(अ) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि नियम, 1990 कहा जाए।

(ब) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न हो,—

(1) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) से है;

(2) "लेखा अधिकारी" से अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसे जमाकर्ता के भविष्य निधि लेखा के अनुरक्षण/रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है;

(3) "बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से है;

(4) "अध्यक्ष" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(5) "परिलब्धियों" से अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से है जैसा कि विनियम में परिभाषित है और इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित होगा —

(अ) वेतन के उपयुक्त मंहगाई वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान, यदि ग्राह्य हो;

(ब) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई भी वेतन जो नियत मासिक वेतन द्वारा न आंका जाए; और

(स) वेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जो विदेश सेवा के संबंध में प्राप्त किया हो।

(6) "परिवार" से अभिप्राय :—

(अ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के

माता-पिता जीवित नहीं हैं पैतृक दादा-दादी :

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(ब) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिये जिनमें यह नियम लागू होते हैं, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है।

(7) "निधि" से अभिप्राय सामान्य भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि से है;

(8) "अवकाश" से अभिप्राय विनियमों द्वारा मान्य किसी भी प्रकार के अवकाश से है;

(9) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य सचिव से है;

(10) "विनियम" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी के लिए योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 से है;

(11) "वर्ष" से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है।

इन विनियमों में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा शब्द जिसे या तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का नियम 19) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1986 में परिभाषित किया गया हो, को उनमें परिभाषित संदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाए।

3. निधि का गठन

(1) निधि का रख-रखाव रुपयों में किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत निधि में जमा की गई सभी राशियां बोर्ड के "सामान्य भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) लेखा" खाते में जमा की जाएंगी। कोई भी भुगतान राशि जिसका भुगतान इन विनियमों के अन्तर्गत देय होने के बाद 6 महीने के अन्दर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उस वर्ष के अन्त में "डिपोजिट" में अन्तरित कर दिया जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत "डिपोजिट" से संबंधित माना जाएगा।

4. पात्रता की शर्तें :

बोर्ड के सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात्, सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी ["अंशदायी भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि" के लिए पात्र को छोड़कर] और बोर्ड के स्थाई कर्मचारी इस निधि में अंशदान करेंगे :

परन्तु—

ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करना आवश्यक हो या अंशदान करने की अनुमति दी गई हो, इस निधि का सदस्य बनने या अंशदाता बना रहने का पात्र नहीं है, जब वह ऐसी निधि में अंशदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. नामांकन

(1) प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनते समय कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को नामांकन भेजेगा, जिसमें उसकी मृत्यु होने की अवस्था में उस राशि जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा है, के देय होने से पहले या देय होने पर भुगतान न की गई हो, को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा :

परन्तु—

जहां जमाकर्ता अवयस्क हो, तो वह वयस्क होने पर ही नामांकन करेगा :

परन्तु यह भी कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ही किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पूर्व किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और उस निधि में उसके जमा धन को इस भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दिया गया है तो उस निधि के लिये किया गया नामांकन इस विनियम के लिए किया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं देता है।

(2) यदि जमाकर्ता उप-विनियम (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे नामांकन में प्रत्येक नामजद को देय राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि किसी भी समय पूरी-पूरी बंट जाए।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसूची में दिये गये फार्म में किया जाएगा।

(4) जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रद्द कर सकता है। जमाकर्ता

को ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधों के अनुसार नया नामांकन भेजना होगा ।

(5) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लेख कर सकता है :—

(अ) किसी विनिर्दिष्ट नामजद के सम्बंध में, कि जमाकर्ता की मृत्यु से पूर्व नामजद की मृत्यु होने पर उसको दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार के अन्य सदस्य होंगे, यदि जमाकर्ता के परिवार में अन्य सदस्य हों । जमाकर्ता जहां ऐसा अधिकार इस खण्ड के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को देता है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि का भाग इस तरह से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामजद को दी जाने वाली राशि पूरी-पूरी उनमें बंट जाए ।

(ब) किनामांकन उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा :

बशर्ते कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो वह नामांकन में उल्लेख करेगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने पर यह नामांकन अवैध हो जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है तो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करेगा कि खण्ड (अ) के अन्तर्गत दूसरे नामजद को दिया गया अधिकार बाद में उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा ।

(6) किसी नामजद, जिसके बारे में उप-विनियम-5 के खण्ड (अ) के अन्तर्गत नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया हो, की मृत्यु के तुरन्त बाद या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-विनियम-5 के खण्ड (ब) या उसके उपबंधों के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, तो जमाकर्ता लेखा अधिकारी को नामांकन को रद्द करने के लिए लिखित नोटिस इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में नये किए गए नामांकन सहित, भेजेगा ।

(7) जमाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रद्दकरण नोटिस, जब तक वैध रहेगा, उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा ।

6. जमाकर्ता का लेखा

प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा, जिसमें निम्न विवरण दिखाया जाएगा :

(1) जमाकर्ता का अंशदान;

(2) विनियम-11 में उल्लिखितानुसार अंशदान पर ब्याज;

(3) निधि से लिया गया अग्रिम तथा निकाली गई राशि आदि ।

अंशदान की शर्तें एवं दर

7. अंशदान की शर्तें

(1) जमाकर्ता उस अवधि जब वह निलम्बित हो को छोड़कर प्रतिमास निधि में अंशदान करेगा :

परन्तु

जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन, अर्ध-वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम, प्राप्य हो, अंशदान न करे :

परन्तु यह भी कि—

यदि जमाकर्ता निलम्बन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाता है तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राशि, जो उस अवधि (निलम्बन अवधि) के लिए देय बकाया अंशदान की राशि से अधिक न हो, को एक मुश्त जमा करे या किस्तों में ।

(2) जमाकर्ता उप-विनियम (1) के प्रथम उपबंध में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में अंशदान न करने के अपने चुनाव को निम्नानुसार सूचित करेगा ।

(अ) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी है, तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम वेतन बिल से अंशदान की कटौती न करके;

(ब) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी नहीं है, तो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना द्वारा ।

उचित रूप से व समय पर सूचना न भेजने पर यह समझा जाएगा कि जमाकर्ता अंशदान करना चाहता है ।

जमाकर्ता द्वारा इस उप-विनियम के अन्तर्गत दिये गए विकल्प की सूचना अन्तिम होगी ।

(3) जमाकर्ता जिसने विनियम-18 के अन्तर्गत निधि में उसके खाते में जमा राशि निकाल ली है, वह ऐसी धन निकासी के बाद, जब तक कि वह कार्य पर वापस नहीं आ जाता है निधि में जमा नहीं करेगा ।

8. अंशदान की दर

(1) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशी निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं निश्चित की जाएगी ।

(अ) इसको पूर्ण रूपयों में ही लिखा जाएगा;

(ब) ऐसी बताई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के 6% से कम और परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु —

उस जमाकर्ता के मामले में जो इससे पूर्व बोर्ड के अंशदायी भविष्य निधि में 8 1/3% की उच्च दर से अंशदान कर रहा हो, तो ऐसी बताई गई कोई भी राशि उसकी परिलब्धियों के 8 1/3% से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी ।

(स) जब बो का कर्मचारी 6% या 8 1/3% की न्यूनतम दर, जैसी भी स्थिति हो, से अंशदान करने का चुनाव करता है तो रूपये के अंश को उसके समीपतम पूर्ण रूपये में परिवर्तित कर

दिया जाएगा, जैसे कि 50 पैसे को उससे उच्च रूपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिये जमाकर्ता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :—

(अ) उस जमाकर्ता के मामले में जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस तारीख को पात्र था :

बशर्ते कि—

(1) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर था और इस अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना था या उक्त तारीख को निलम्बित था, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन पात्र था;

(2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अंशदान करने को चुना हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह, यदि भारत में ही कार्यरत रहता, का पात्र होगा;

(आ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर या तो बोर्ड की सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस बिल से उस महीने के लिये करवाना चाहता है;

(3) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने अंशदान की राशि नियत करने की सूचना देगा :—

(अ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में अपने वेतन बिल से उस महिने के लिये करवाना चाहता है;

(आ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था और ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना हो या उस दिन निलम्बित था, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में ड्यूटी पर लौटने पर अपने प्रथम वेतन बिल में करवाना चाहता है;

(इ) यदि वह वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवा में पहली बार आया है, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में, अपने उस महीने के वेतन बिल से जिस महीने वह इस निधि का सदस्य बना है, करवाना चाहता है;

(ई) यदि गत-वर्ष की 31 मार्च को वह छुट्टी पर था और अब भी छुट्टी पर चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुना हो तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में उस महीने के वेतन से करवाना चाहता है;

(उ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो उस राशि द्वारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की निधि में अंशदान के कारण जमा की हो ।

(4) **इस प्रकार से नियत की गई अंशदान की राशि—**

(अ) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ही घटाई जाए;

(आ) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए;

या

(इ) पूर्वोक्तानुसार घटाई-बढ़ाई जाए—

किन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशदान की राशि उप-विनियम (1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि—

यदि जमाकर्ता कलैंडर मास के दौरान अंशतः ड्यूटी पर हो और अंशतः बिना वेतन अवकाश या अर्ध-वेतन अवकाश या अर्ध औसत वेतन अवकाश पर हो तथा ऐसे अवकाश के दौरान उसने अंशदान न करने को चुना हो, तो देय अंशदान की राशि उपरोक्त के अलावा यदि कोई हो, अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के समानुपातिक होगी ।

9. **विदेश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति:**

जब कोई जमाकर्ता विदेश सेवा में स्थानांतरित हो जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा जाता है तब भी भविष्य निधि के विनियम उस पर उसी तरह लागू होंगे, यदि उसे विदेश सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता ।

10. **अंशदान की वसूली**

(1) जब परिलब्धियां बोर्ड की निधि से भारत में या भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय से ली जा रही हों तो अंशदान तथा अग्रिमों के मूलधन व ब्याज की वसूली जमाकर्ता की परिलब्धियों से की जाएगी ।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जा रही हों तो जमाकर्ता अपनी देय राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भेजेगा :

परन्तु

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है, में प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसके मामले में अंशदान की वसूली और उसका लेखा अधिकारी को अग्रेषण उस सरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(3) यदि जमाकर्ता उस दिन से, जिस दिन से वह इस निधि का सदस्य बना है, अंशदान करने में असफल रहता है या विनियम-7 में किये उपबंध के अलावा, वर्ष के दौरान किसी महीने निधि में अंशदान करने में असफल रहता है तो निधि में अंशदान के बकाया के कारण देय कुल रकम विनियम-11 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित जमाकर्ता द्वारा अविलम्ब निधि में जमा कीम जाएगी, ऐसा न करने पर लेखा अधिकारी उसकी परिलब्धियों से किस्तों या अन्यथा जैसा भी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निदेश दें, कटौती द्वारा वसूल करने का आदेश करेगा :

परन्तु

यदि जमाकर्ता, जिनकी निधि में जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे ।

11. **ब्याज** :

(1) उप-विनियम (5) के उपबन्धों के अधीन बोर्ड जमाकर्ता के खाते में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित परिकलन पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष के लिये निश्चित की गई दर से ब्याज जमा करेगा ।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्न प्रकार से जमा किया जाएगा :—

(1) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को कम करके, 12 महीनों के लिये ब्याज;

(2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर, चालू वर्ष के प्रारम्भ से लेकर जिस माह राशि निकाली गई हो उससे पिछले मास के अन्तिम दिन तक, ब्याज;

(3) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् जमाकर्ता के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा करने की तारीख से चालू वर्ष की समाप्ति तक, ब्याज;

(4) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्ण कर दी जाएगी (जैसे 0.50 पैसे को निकटतम उच्चतर रुपया गिना जाएगा :

परन्तु—

जब जमाकर्ता के खाते में जमा राशि देय हो गई हो, तो उस पर इस विनियम के अन्तर्गत ब्याज, केवल चालू वर्ष के प्रारम्भ या जमा करने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, से लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तक जमा किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, परिलब्धियों से वसूलियों के मामले में, जमा करने की तारीख उस माह का प्रथम दिन माना जाएगा जिस माह वसूलियां की गई हैं, और जमाकर्ता द्वारा अग्रप्रेषित की गई राशियों के मामले उस माह की पहली तारीख जिस माह वह राशियां प्राप्त हो मानी जाएगी, यदि यह राशियां लेखा अधिकारी को उस माह की पांचवीं तारीख से पहले प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि यह राशियां उस माह की पांचवी तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त होती हैं तो अगले माह की पहली तारीख मानी जाएगी :

परन्तु—

जहां जमाकर्ता के वेतन या छुट्टी वेतन तथा भत्ते लेने में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंशदान की वसूली में भी विलम्ब हुआ हो, तो ऐसे अंशदान पर ब्याज, इस बात का ध्यान रखे बिना कि वेतन या अवकाश वेतन वास्तव में किस माह में लिया गया है, उस माह से देय होगा जिस माह में नियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का वेतन या अवकाश वेतन देय था ।

परन्तु यह और कि—

विनियम-10 के उप-विनियम (2) में परन्तुक के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा करने की तारीख उस माह पहली तारीख मानी जाएगी यदि वह राशि लेखा अधिकारी को उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है :

परन्तु यह और कि—

जहां माह की परिलब्धियां उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस को निकाली जाती हैं और वितरित की जाती हैं, तो जमा करने की तारीख, उसके अंशदान की वसूली के मामले में, अनुवर्ती माह की पहली तारीख मानी जाएगी ।

(4) विनियम-17, 18 या 19 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज उस माह जिस में भुगतान किया जाता है के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक या जिस माह में ऐसी राशि देय हो गई हो उसके बाद छठे महीने के अन्त तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसको ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु—

जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या प्रतिनिधि) को यह तारीख, जिस दिन वह नकद भुगतान करने को तैयार है, सूचित कर दी हो या उस व्यक्ति को भुगतान चैक डाक द्वारा भेज दिया हो, तो ब्याज का भुगतान ऐसी सूचित की गई या चैक डाक द्वारा भेजने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

जहां जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पूर्व दिनांक से ऐसी सरकार या निकाय या संगठन में समाहृत हो जाए, तो निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर देय ब्याज के परिकलन के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख को ही जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय होने की तारीख इस शर्त के अधीन माना जाएगा कि समाहृत होने की तारीख से समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि इस उप-विनियम के अन्तर्गत केवल ब्याज देने के उद्देश्य के लिये ही निधि में अंशदान मानी जाएगी ।

नोट : बकाया निधि पर छः महीने की अवधि के बाद ब्याज का भुगतान—

(अ) एक वर्ष तक की अवधि के लिए लेखा अधिकारी द्वारा; और

(ब) लेखा अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी भी समयावधि तक;

स्वयं को इस बात से सन्तुष्ट करने के पश्चात कि भुगतान में विलम्ब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिसे ऐसा भुगतान किया जाना है कि नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हुआ है, प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में हुए प्रशासनिक विलम्ब की पूरी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो कार्यवाही की जाएगी ।

(5) यदि कोई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा; परन्तु—यदि बाद में वह ब्याज के लिये कहता है तो यह उस वर्ष, जिसमें वह इसके लिये कहता है, के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा ।

(6) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्ता ने निकासी की तारीख को उसके खाते में जमा धन से अधिक धन निकाला है, तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि, चाहे वह अग्रिम के

रूप में निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हो या निधि से अन्तिम भुगतान के रूप में निकाली गई हो, उस जमाकर्ता को एक मुश्त राशि में ब्याज सहित वापस जमा करना होगा । ऐसा न करने पर इसकी वसूली जमाकर्ता को परिलब्धियों में से एक मुश्त कटौती द्वारा की जाएगी । यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वेतन अर्धांश से तब तक की जाएगी तब तक कि पूरी राशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती । इस उप-विनियम के लिये ब्याज, जो कि जमा राशि में अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया जाएगा, की दर उप-विनियम (1) में दिये अनुसार भविष्य निधि बकाया पर दी जाने वाली सामान्य ब्याज दर से 21/2% ज्यादा होगी अधिनिकासी पर वसूल किया गया ब्याज बोर्ड के खाते में शीर्षक- "अन्य प्राप्तियां" में विशिष्ट उप-शीर्षक "भविष्य निधि से अधिनिकासियों पर ब्याज" में जमा किया जाएगा ।

12. निधि से अग्रिम

(1) उपयुक्त मंजूरीदाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता को अग्रिम जो पूरे रुपयों में होगा तथा तीन माह के वेतन या भविष्य निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा धन के आधे, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न हो, निम्नलिखित एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए मंजूर कर सकता है :—

(अ) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक आश्रित की बीमारी, प्रसवावस्था या अपंगता से संबंधित व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का भुगतान करने के लिए;

(ब) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता और उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक आश्रित की उच्च शिक्षा पर व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, की पूर्ति करने के लिए; नामतः

माध्यमिक स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा के लिए; और

माध्यमिक स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी भी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए; बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम न हो।

(स) जमाकर्ता की हैसियत के अनुसार किसी आवश्यक खर्च की अदायगी के लिए जो रीति-रिवाज के अनुसार सगाई, विवाह, अन्तिम संस्कार या अन्य समारोहों पर जमाकर्ता को खर्च करने पड़ते हैं;

(द) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या के विरुद्ध चलाई गई कानूनी कार्यवाही का खर्चा चुकाने के लिये, इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी स्रोत से ग्राह्य अग्रिम के अतिरिक्त होगा;

(य) जहां जमाकर्ता अपने तथाकथित कार्यालय संबंधी कदाचरण के लिए जांच में अपने बचाव के लिए वकील करता है, अपने बचाव के खर्चे के व्यय को वहन करने के लिये;

(र) प्लाट या अपनी रिहायश के लिए मकान या फ्लैट बनाने या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित प्लाट या फ्लैट की कीमत अदा करने या खर्चा वहन करने के लिए ।

(1-क) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित जमाकर्ता को उप-विनियम (1) में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है ।

(2) किसी भी जमाकर्ता के लिखित में विशेष कारणों के अलावा, किसी अन्य कारण के लिए उप-विनियम (1) में निर्धारित की गई सीमा से अधिक या जब तक कि पिछले किसी अग्रिम की अन्तिम किस्त वापस नहीं कर दी जाती है, कोई भी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(3) जब उप-विनियम (2) के अन्तर्गत, किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त की वसूली किए बिना ही, अग्रिम मंजूर कर दिया जाता है तो पूर्व अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि को अब मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली की किस्तों को समेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(4) अग्रिम मंजूर करने के बाद, उन मामलों में जहां अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-29 के उप-विनियम (3) के खण्ड-(।।) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को भेजा गया था, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी ।

नोट : इस विनियम के उद्देश्य के लिए वेतन में वेतन, मंहगाई भत्ता जहां ग्राह्य हो सम्मिलित होंगे

नोट : जमाकर्ता को विनियम-12 के उप-विनियम (1) की मद (ब) के अन्तर्गत प्रत्येक छः मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी ।

13. अग्रिम की वसूली

(1) जमाकर्ता से अग्रिम की वसूली उतनी ही बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी जैसाकि मंजूरीदाता प्राधिकारी निदेश दे; परन्तु ऐसी किस्तों की संख्या, जब तक की जमाकर्ता स्वयं ऐसा न चाहे, 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए । विशेष मामलों में जहां विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, तो मंजूरीदाता प्राधिकारी ऐसी किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकता है परन्तु किसी भी हालत में यह 36 से अधिक नहीं होगी । जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार एक मास में एक से अधिक किस्तें अदा कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों में होगी । ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आवश्यक हो, अग्रिम की राशि घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

(2) वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसाकि विनियम-10 में अंशदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह जिस माह अग्रिम लिया था उस माह के अनुवर्ती माह के वेतन से आरम्भ होगी । जब जमाकर्ता निर्वाह अनुदान ले रहा हो या कलैंडर मास में दस दिन या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो जिसमें या तो कोई अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन अर्ध वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो, जैसी भी स्थिति हो, जमाकर्ता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी । जमाकर्ता की लिखित प्रार्थना पर जमाकर्ता को मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान, वसूली मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है ।

(3) यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर किया गया है और वह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद में वसूली पूरी होने से पहले ही नामंजूर हो जाता है तो लिए गए अग्रिम की पूरी राशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलम्ब निधि में वापस जमा की जाएगी, जिसके न करने पर, उसकी परिलब्धियों में से एक मुश्त या मासिक किस्तों में जो 12 से अधिक न हों, जैसाकि विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारण के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए, कटौती द्वारा वसूल करने का लेखा अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा ।

परन्तु—

इस प्रकार के अग्रिम को नामंजूर करने से पहले जमाकर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस सन्देश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित में स्पष्ट करे कि अग्रिम की वसूली क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता उक्त 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उसे निर्णय हेतु अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और यदि जमाकर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो अग्रिम की वसूली इस उप-नियम में निर्धारित अनुसार आरम्भ कर दी जाएगी ।

(4) इस विनियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां जैसे ही की जाएंगी निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएगी।

14. अग्रिम का गलत प्रयोग

इन विनियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई सन्देह हो जाता है कि विनियम-12 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया गया धन मंजूरी किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन पर खर्च किया गया है, तो वह अपने सन्देह के कारणों के जमाकर्ता को सूचित करेगा और उससे ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्या अग्रिम की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च की गई है जिसके लिए मंजूर की गई थी । यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी, जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह जमाकर्ता को इस अग्रिम की राशि को तुरन्त निधि में जमा करने का निदेश देगा। ऐसा न करने पर, चाहे जमाकर्ता अवकाश पर ही हो, मंजूरीदाता प्राधिकारी उस की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा । यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता के परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों के अधिक से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती ।

15. निधि से धन की निकासी

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन धन निकासी की मंजूरी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा—

(क) यह जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने (सेवा व्यवधान की अवधि, यदि कोई हो, को मिला कर) के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि में से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के लिए मंजूर की जाएगी, नामतः—

(अ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके किसी बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए; जैसे :

(i) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या व्यापारिक पाठ्यक्रम के लिए; और

(ii) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए;

(ब) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों, और उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला सम्बन्धी की सगाई/विवाह समारोह के व्यय को वहन करने के लिए;

(स) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित व्यक्ति की बीमारी, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए ।

(ख) जमाकर्ता द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद (सेवा में व्यवधान की अवधि, यदि कोई हो, को मिलकर) या अवर्तन पर सेवा निवृत होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूर की जाएगी;नामतः

(अ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल सहित उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए;

(ब) अपनी रिहायश के लिए उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(स) अपनी रिहायश के लिए मकान बनाने के लिए गृह-स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(द) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपयुक्त फ्लैट या मकान के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन-परिवर्तन करने के लिए;

(य) जमाकर्ता द्वारा कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से बनाए गए मकान की मरम्मत या परिवर्धन-परिवर्तन या अनुरक्षण के लिए;

(ग) उपर्युक्त खण्ड-(स) के अन्तर्गत लिए गए गृह-स्थल पर गृह निर्माण के लिए ।

(घ) जमाकर्ता के सेवा-निवृत होने की तारीख से पहले 6 महीने के भीतर निधि में उसके खाते में जमा रकम से कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दोनों उपार्जित करने के लिए मंजूर की जाएगी ।

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए स्वपोषी वित्त व्यवस्था एवं अंशदान पर आधारित सामूहिक बीमा योजना में एक वर्ष में दिए गए अंशदान की राशि के बराबर मंजूर की जा सकती है ।

नोट 1 : जमाकर्ता, जिसने शहरी विकास मन्त्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना के अन्तर्गत अग्रिम का लाभ उठाया है या उस बोर्ड के स्रोतों से इस इस संबंध में कोई मदद दी गई है, वह खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स), (द) और (र) के अन्तर्गत इनमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और विनियम-16 के उप-विनियम (1) के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण की अदायगी के उद्देश्य के लिए भी अन्तिम निकासी की मंजूरी का पात्र है ।

यदि जमाकर्ता के पास पैतृक मकान है या अपने कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड से ली गई ऋण सहायता से मकान बनाया है, तो वह अपने कार्य स्थल में गृह-स्थल खरीदने या दूसरा मकान बनाने या बना-बनाया मकान खरीदने के लिए खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स) और (र) के अन्तर्गत अन्तिम निकासी के लिए पात्र होगा ।

नोट 2 : खण्ड (ख) के उपखण्ड (अ), (द), (य) या (र) के अंतर्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी उसके द्वारा बनाए जाने वाले मकान या किए जाने वाले परिवर्धन-परिवर्तन की, उस क्षेत्र जहां मकान-स्थल या मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा विधिवत् अनुमोदित, योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद और केवल उन्हीं मामलों जहां योजना वास्तव में स्वीकृत करवा ली गई है, दी जाएगी।

नोट 3 : खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ब) के अन्तर्गत मंजूर की गई निकासी की राशि जमाकर्ता के खाते में उप-खंड (अ) के अंतर्गत पिछली निकासी की राशि को मिलाकर और पिछली निकासी की राशि को कम करके आवेदन की तारीख को बकाया राशि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी । फार्मूला जो अपनाया जाएगा : (उस तारीख को बकाया जमा + (जमा) विवादास्पद मकान के लिए ली गई निकासी राशि – (घटा) पिछली निकासी (निकासियां) की राशि, का तीन-चौथाई।

नोट 4 : खंड (ग) के उप-खंड (अ) या (ब) के अंतर्गत निकासी की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी जहां गृह-स्थल या मकान जमाकर्ता की पत्नी या पति के नाम है; बशर्ते कि वह जमाकर्ता द्वारा सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामांकन में प्रथम नामित हो।

नोट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए निकासी की मंजूरी एक बार ही दी जाएगी । लेकिन विभिन्न बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर अस्वस्थता, अथवा मकान या फ्लैट में परिवर्धन-परिवर्तन जिसके उस क्षेत्र जहां मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत की गई है, को एक ही उद्देश्य नहीं माना जाएगा । खंड (ख) के उप-खंड (अ) (र) के अंतर्गत, एक ही मकान को पूर्ण करने के लिए दूसरी बार या उसके बाद किसी निकासी की मंजूरी नोट-3 में निर्धारित सीमा तक ही दी जाएगी।

नोट 6 : यदि विनियम-12 के अंतर्गत उसी उद्देश्य और उसी समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा हो तो इस विनियम के अंतर्गत निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(2) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा राशि के बारे में, हाल ही की सामान्य भविष्य निधि लेखा की उपलब्ध विवरणी से, बाद में जमा अंशदान के प्रमाण सहित, संतुष्ट करने की स्थिति में हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीतर, वापस किए जाने योग्य अग्रिम की तरह ही, धन निकालने की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता को पहले मंजूर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम (refundable advance) या धन-निकासी (withdrawal) को भी ध्यान में रखेगा । तथापि जहां जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के बारे में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आवेदित धन-निकासी withdrawal applied for की ग्राह्यता के बारे में संदेह हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित धन-निकासी की ग्राह्यता के निर्धारण के उद्देश्य से लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का प्रमाण मांगा जाएगा। धन-निकासी की मंजूरी में मुख्यतया सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या तथा लेखे का हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया जाएगा तथा मंजूरी की प्रति हमेशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। मंजूरीदाता प्राधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि मंजूर की गई राशि को लेखा अधिकारी द्वारा जमाकर्ता की लेखा-बही में दर्ज कर लिया गया है । यदि लेखा अधिकारी यह सूचित करता है कि मंजूर की गई राशि जमाकर्ता के खाते में जमा राशि से अधिक है या अन्यथा ग्राह्य नहीं है, तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राशि उसे तुरन्त एक मुश्त निधि में वापस जमा करनी होगी और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों से एक मुश्त या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए, में वसूल करने का आदेश देगा।

(3) निकासी की मंजूरी के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-20 के उप-विनियम (3) के खण्ड (2) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर निकाली जाएगी ।

16. धन निकालने की शर्तें

(1) जमाकर्ता द्वारा विनियम-15 में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी एक समय में निधि से उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता

निधि में उस के खाते में जमा रकम के $1\frac{1}{2}$ या उसके छः महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक, निधि में जमाकर्ता के खाते में बकाया रकम के $\frac{3}{4}$ तक की मंजूरी, निम्नांकित पर उचित ध्यान देते हुए, दे सकता है :—

(क) उद्देश्य जिसके लिए राशि निकाली जा रही है,

(ख) जमाकर्ता की हैसियत, और

(ग) निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम :

परन्तु—

किसी भी मामले में, विनियम-15 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन-निकासी की अधिकतम रकम निर्माण एवं आवास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम मंजूर किए जाने की योजना के नियम-2(ए) और 3(बी) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि—

उस जमाकर्ता के मामले में जिसने निर्माण एवं आवास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण के लिए अग्रिम मंजूर करने की योजना का लाभ उठाया है या इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता मंजूरी की गई हो, तो इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गई राशि, पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत लिए गए अग्रिम या किसी अन्य बोर्ड के स्रोत से ली गई सहायता सहित, पूर्वोक्त योजना के नियम 2(ए) और 3(बी) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(2) जिस जमाकर्ता का विनियम-15 के अंतर्गत निधि से धन निकालने की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाता प्राधिकारी को उपयुक्त समय, जो भी उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, के अंदर इस बात से संतुष्ट करेगा कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए ही किया गया है जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी निकाली गई सारी रकम या उसके उतनी ही अधिक जिसके लिए उस उद्देश्य के लिए आवेदन नहीं किया गया हो, जिसके लिए वह निकाली गई थी, जमाकर्ता द्वारा निधि में एक मुश्त वापस जमा की जाएगी और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी किश्तों, जितनी अध्यक्ष नियत करें, में वसूल करने का आदेश करेगा :

परन्तु—

इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गई रकम की वसूली आरम्भ करने से पहले, जमाकर्ता को ऐसी सूचना की प्राप्ति होने के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि निकाली गई रकम की वसूली क्यों न की जाए; और यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी जमाकर्ता के स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी इस उप-विनियम में निर्धारित अनुसार वसूली प्रारम्भ कर देगा ।

(3) (अ) जिस जमाकर्ता को विनियम-15 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के उप-खंड (अ) या (ब) या (स) के अंतर्गत, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से धन निकालने की अनुमति दी गई हो, तो ऐसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपार्जित किए गए मकान या खरीदे गए गृह-थल का कब्जा चाहे बिक्री, रेहन (बोर्ड के पक्ष में रेहन करने के अलावा), उपहार, अदला-बदली या अन्यथा द्वारा अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं छोड़ेगा :

परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी—

(क) मकान या मकान-स्थल, जो किसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, पट्टे पर दिया जा रहा हो;

(ख) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य निकाय, जो नए मकान के निर्माण या वर्तमान मकान में परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए ऋण अग्रिम देती हो, के पक्ष में रेहन किया जा रहा हो ।

(ब) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि मकान या मकान-स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कब्जे में ही है या पूर्वोक्तानुसार रेहन किया है, अन्यथा अंतरित किया है या किराया पर दिया है और यदि ऐसा कहा जाए, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को या उससे पहले मूल बिक्री, रेहन या पट्टा पत्र और वे कागजात भी जिसमें उसका संपत्ति पर अधिकार आधारित है, पेश करेगा।

(स) यदि, अपनी सेवा-निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय, जमाकर्ता मकान या मकान की जगह को अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना छोड़ देता है तो वह उस उद्देश्य के लिये लिए गए धन को निधि में तुरन्त एक मुश्त वापस जमा करेगा, और ऐसा न करने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी जमाकर्ता को मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उपयुक्त अवसर देने के बाद, उक्त रकम को जमाकर्ता की परिलब्धियों में से एक मुश्त या उतनी मासिक किश्तों में, जितनी वह प्राधिकारी निर्धारित करे, वसूल करवाएगा।

16 क. अग्रिम को निकासी धन में बदलना

जिस जमाकर्ता ने विनियम-12 के अंतर्गत विनयम-15 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अग्रिम लिया है या जो भविष्य में ले, वह अपनी इच्छानुसार, विनियम-15 और विनियम-16 में दी गई शर्तों से संतुष्ट होने पर, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध करके, इसमें बकाया रकम को अंतिम रूप से धन निकालने में रूपान्तरित कर सकता है। .

17. निधि में जमा राशि का अनन्तिम सार पर वापस लेना

जब जमाकर्ता नौकरी छोड़ेगा तो निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे भुगतान करने योग्य हो जाएगी :

परन्तु—

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो और बाद में उसे बहाल कर दिया जाता है, यदि बोर्ड ऐसा चाहे, तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई राशि को, विनियम-11 में दी गई दर से, विनियम-18 के उपबंध की व्यवस्थाओं के अनुसार, ब्याज सहित निधि में वापस जमा करेगा। इस प्रकार वापस की गई रकम को निधि में उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 : जमाकर्ता, जिसे मना की गई छुट्टी मंजूर की जाती है, को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से या बढ़ाई गई सेवावधि की समाप्ति पर सेवा से मुक्त समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 : जमाकर्ता, अनुबंध पर नियुक्त या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में बिना किसी व्यवधान या व्यवधान सहित पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा से मुक्त नहीं समझा जाएगा।

नोट : स्थानान्तरण में, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड की उचित अनुमति से नियुक्ति स्वीकार करने के उद्देश्य से दिए गए त्याग-पत्र के मामले भी शामिल होंगे। उन मामलों में जहां सेवा में व्यवधान हो, तो वह विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय तक सीमित किया जाएगा।

यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलंब नियोजन के मामलों में भी उपयुक्त रहेगा।

स्पष्टीकरण 3 : जब किसी जमाकर्ता, जो अनुबंध पर नियुक्त हो या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा में बिना व्यवधान के केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है, तो अंशदान की रकम उस पर ब्याज सहित, जमाकर्ता को भुगतान नहीं की जाएगी बल्कि उस सरकार/निकाय की सहमति से उस सरकार/निकाय में जमाकर्ता के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी। स्थानान्तरण में केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड की उचित अनुमति से नियुक्ति स्वीकार करने हेतु दिए गए त्याग-पत्र के मामले भी शामिल होंगे। नए पद पर पदभार ग्रहण करने के लिए लिया गया समय, यदि यह बोर्ड के कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण के लिए स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय से अधिक नहीं है, तो सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा।

परन्तु—

उस जमाकर्ता जो सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा व्यक्त करता है, के अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित, यदि वह ऐसा चाहता है, उस उद्यम में उसके नये भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी जाएगी यदि वह उद्यम इसके लिए सहमत हो। यदि जमाकर्ता इस धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता है या सम्बंधित उद्यम में किसी भविष्य निधि का संचालक नहीं है, तो पूर्वोक्त राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाएगा।

18. जमाकर्ता की सेवा-निवृत्ति

जब जमाकर्ता :—

(अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो;

(ब) जब छुट्टी पर हो, सेवा-निवृत्ति की अनुमति दे दी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो;

तो निधि में उसके खाते में जमा राशि जमाकर्ता को, उसके द्वारा इस सम्बंध में आवेदन, जो कि लेखा अधिकारी को दिया गया हो, करने पर भुगतान हो जाएगी :

परन्तु—

बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय, उसे इस बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय, उसे इस विनियम के अनुसरण में भुगतान की गई रकम को विनियम-11 में व्यवस्थित दर से उस पर ब्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में या अंशत: नकद और अंशत: प्रतिभूतियों में, किस्तों द्वारा या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा या अन्यथा, जैसा भी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदेश दें, निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी।

19. जमाकर्ता की मृत्यु पर कार्य-प्रणाली

जमाकर्ता के खाते में जमा रकम के देय हो जाने या जहां रकम देय हो गई हो, भुगतान किए जाने से पहले ही जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की अवस्था में—

(1) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो—

(अ) यदि नामांकन जमाकर्ता द्वारा विनियम-5 या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में नामांकन किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बन्धित है, नामांकन में दिखाए गए अनुपात के अनुसार उसके मनोनीत या मनोनीतों को देय हो जाएगी;

(ब) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में ऐसा कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा रकम के किसी अंश से ही सम्बन्धित है, तो सारी रकम या उसका अंश जिससे नामांकन

सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, कोई भी नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय होगी :

परन्तु निम्नांकित को कोई हिस्सा देय नहीं होगा :—

(1) उसके पुत्र जो व्यस्क हो गए हैं;

(2) उसके मृतक पुत्र के पुत्रों को जो व्यस्क हो गए हों;

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

यदि उसके परिवार में खण्ड (1), (2), (3) और (4) में दिखाए गए सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है :

परन्तु यह भी कि —

मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें और बच्चा या बच्चे केवल उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे, जिस भाग को वह पुत्र, यदि वह जीवित रहता और प्रथम उपबंध के अनुच्छेद (1) की व्यवस्थाओं से मुक्त होता, जमाकर्ता से प्राप्त करता।

जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने नामांकन विनियम-5 या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम की व्यवस्थाओं के अनसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में किया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका अंश जिससे नामांकन सम्बंधित हो, नामांकन में दिखाये गए अनुपात में उसके नामजद या नामजदों को देय हो जाएगी ।

19-क. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

जमाकर्ता की 30 सितम्बर, 1991 को या उससे पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम 19-ख लागू नहीं होता हो, उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व तीन वर्ष के दौरान उसके खाते में बकाया औसत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में बकाया रकम उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न सीमाओं से कम न हुई हो—

(i) रु. 4,000/-, उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1300/- या अधिक हो;

(ii) रु. 2500/-, उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 900/- या अधिक हो परन्तु रु. 1300/- से कम हो;

(iii) रु. 1500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- या अधिक परन्तु रु. 900/- से कम हो;

(iv) रु. 1000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- से कम हो;

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।

19-ख. जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना

जमाकर्ता की मृत्यु पर लेखा अधिकारी के खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में औसत बकाया रकम के बराबर अतिरिक्त का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया निम्न सीमाओं से कम न रहा हो—

(i) रु. 12,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 4000/- या अधिक हो;

(ii) रु. 7500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 2900/- या अधिक हो परन्तु 4000/- से कम हो;

(iii) रु. 4500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- या अधिक हो परन्तु रु. 2900/- से कम हो;

(iv) रु. 3000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौराना अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- से कम हो।

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त राशि 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।

नोट—1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व प्रत्येक 36 मासों के अन्त में बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उद्देश्य

के लिये, उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि की जांच के लिए भी —

(अ) मार्च के अन्त में बकाया राशि में विनियम-9 की शर्तों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा, और

(ब) यदि पूर्वोक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्च नहीं होता है तो उक्त 36 मासों के अन्तिम मास के अन्त में बकाया राशि में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु होती है, के प्रारम्भ से लेकर उक्त अन्तिम मास के अन्त तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा ।

नोट—2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही होगा। यदि देय राशि में रुपये का अंश भी शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा (जैसे 0.50 पैसे को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा) ।

नोट—3 : इस योजना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि बीमा धन के स्वरूप की है और इसलिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा-3 के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती है ।

नोट—4 : यह योजना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लागू होगी है जो किसी सरकारी विभाग के स्वायत्तशासी संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें स्थानान्तरित हो जाते हैं और ऐसे स्थानान्तरण पर उनको दिये गए विकल्पों की शर्तों के अनुसार इन नियमों के अनुसार निधि में अंशदान करने का विकल्प देते हैं ।

नोट—5 : बोर्ड के उस कर्मचारी के मामले में, जो विनियम-21 के अन्तर्गत इस निधि का सदस्य बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी भी स्थिति हो, उसके निधि का सदस्य बनने की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि, पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए उसके अंशदान और नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गई है, अनुच्छेद (अ) और (स) के लिये गिनी जाएगी।

(ब) सावधि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियुक्त पेंशन भोगियों के मामले में ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से की गई सेवावधि, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के उद्देश्य के लिये गिनी जाएगी ।

(स) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होगी है ।

नोट—6 : इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निधि लेखा के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार तैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किये जाते हैं ।

20. निधि में रकम के भुगतान का तरीका

(1) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम देय हो जाती है, तो लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि उप विनियम (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर भुगतान करे ।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसको इन विनियमों के अधीन किसी रकम का भुगतान करना है, पागल है और उसकी सम्पत्ति के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इसके लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान प्रबन्धक को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु—

जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं है और जिस व्यक्ति को रकम देय है उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है, तो भुगतान जिलाधीश के आदेश पर भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा-95 की उप-धारा (1) की शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो पागल के लिए भारित है और लेखा अधिकार जितनी रकम उस व्यक्ति जो पागल के लिये भारित है, को देना उपयुक्त समझे, भुगतान करेगा और अधिशेष राशि यदि कोई हो या उसका कोई भाग जैसा भी वह उपयुक्त समझे, पागल के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्रित हैं, के निर्वाह हेतु देगा।

(3) रकम का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमें देय हों वह भुगतान को भारत में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेंगे। जमाकर्ता द्वारा भुगतान के दावे के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी, नामत :

(1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके खाते में जमा रकम को निकालने के लिये आवेदन करने के लिये या तो जमाकर्ता की सेवा निवृत्ति की आयु होने के एक वर्ष पूर्व या उसकी सेवा निवृत्ति की अपेक्षित तारीख से पहले, यदि पहले हो, आवश्यक आवेदन-प्रपत्र भेजेगा जिससे यह हिदायतें होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर उसे वापस भेज दें। जमाकर्ता कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन निम्नांकित के लिए किया जाएगा—

(अ) निधि में उसके खाते में जमा धन, जो उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा निवृत्ति की अपेक्षित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए वर्ष की लेखा-विवरण में दिखाया गया है, के लिये; या

(ब) यदि जमाकर्ता को लेखा-विवरण प्राप्त न हुआ हो तो उस मामले में उसके बही-खाता में अंकित रकम के लिये।

(2) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन-पत्र को, जमाकर्ता द्वारा लिये गए अग्रिमों, जो अभी विद्यमान हैं, के प्रति की गई वसूलियों तथा उसकी किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं का उल्लेख करके और जमाकर्ता द्वारा लेखा अधिकारी द्वारा जारी पिछली विवरणी के बाद निकाले गए धन, यदि कोई हो,

का भी उल्लेख करके, लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा।

(3) लेखा अधिकारी, बही खाता से सत्यापन करने के बाद, आवेदन-पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम-से-कम एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा किन्तु यह रकम सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य होगी।

(4) अनुच्छेद-3 में वर्णित प्राधिकार भुगतान की पहली किस्त के लिये होगा। इस उद्देश्य के लिये दूसरा प्राधिकार सेवा-निवृत्ति के बाद यथा-शीघ्र जारी किया जाएगा। यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन में वर्णित रकम के बाद किये गए अंशदान तथा उन अग्रिमों, जो पहले आवेदन-पत्र के समय बकाया थे, के प्रति वापिस की गई किस्तों से संबंधित होगा।

(5) अन्तिम भुगतान के लिये लेखा अधिकारी को आवेदन-पत्र अग्रप्रेषित करने के बाद, अग्रिम/धन निकासी मंजूर की जा सकेगी लेकिन राशि संबंधित लेखा अधिकारी, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर, तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा, के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

21. निधि में संचित राशि का स्थानान्तरण

किसी व्यक्ति का केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन के अधीन सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थानान्तरण पर कार्य-विधि :

यदि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो इस निधि का सदस्य बनने से पहले केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन के किसी भविष्य निधि का अंशदाता था तो उसके अंशदान और उस नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, उस पर ब्याज सहित, उस सरकार/निकाय/संगठन की सहमति से इस निधि में अन्तरित कर दी जाएगी।

22. अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) में राशि का अन्तरण

यदि इस निधि का कोई जमाकर्ता बाद में अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) का सदस्य बन जाता है तो उसके अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी।

विनियमों में शिथिलता

23. व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता देना

जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि इन विनियमों के किसी प्रावधान का प्रचलन जमाकर्ता को अनुचित कठिनाई पहुंचाता है या पहुंचाने की सम्भावना है, तो वह इन विनियमों में अन्यथा होते हुए भी, ऐसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से निपटाएगा जो उसे उचित और न्यायसंगत लगे।

24. कार्यविधि विनियम

(1) अंशदान के भुगतान के समय लेखा संख्या उद्धृत करना

जब जमाकर्ता भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकद कर रहा हो तो उस समय वह निधि में अपना लेखा संख्या, जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित की जाएगी, उद्धृत करेगा। इसी प्रकार लेखा अधिकारी लेखा सख्या में किसी परिवर्तन को भी सूचित करेगा।

25. जमाकर्ता को लेखे की वार्षिक विवरणी देना

(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी सम्भव हो लेखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके लेखे का विवरण प्रेषित करेगा जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान कुल जमा की गई रकम या निकाली गई रकम, वर्ष के 31 मार्च तक ब्याज की कुल जमा रकम और उस तारीख तक अन्तिम शेष दिखाया जाएगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या जमाकर्ता—

(अ) विनियम-5 के अन्तर्गत या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन में किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है;

(ब) ने परिवार अर्जित कर लिया है, उन मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियम-5 के उप-विनियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में न किया हो।

(2) जमाकर्ता को वार्षिक विवरणी की विशुद्धता से स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरण प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिये।

(3) जमाकर्ता यदि चाहेगा तो लेखा अधिकारी, वर्ष में केवल एक बार ही, जमाकर्ता को उस माह जिसके लिये उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कुल जमा रकम की सूचना देगा।

26. व्याख्या : यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

27. निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

28. निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिमान पर और प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

29. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के परिवर्धन/स्पष्टीकरण में अपने कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गए सभी निर्णय एवं आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सरकार) नियम, 1960 में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर किये गए संशोधन/परिशोधन/परिवर्धन आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

30. इन विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन वित्त मंत्रालय/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची [विनियम 5 (3)]

नामांकन–पत्र

मैं,.....,एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) जो, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम–2 में परिभाषित है, मेरे परिवार का/के सदस्य है/नहीं है/हैं/नहीं हैं को निधि में मेरे खाते में जमाराशि को, जिसके देय होने से पहले या देय हो जाने पर भुगतान होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में, निम्नानुसार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं।

नामित (तों) का नाम व पूरा पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	नामित की आयु	(नामित (तों) को देय भाग	घटना जिसके घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस/उन व्यक्ति (यों), यदि कोई हो, जिन्हें जमाकर्ता की मृत्यु से पहले ही नामित की मृत्यु हो जाने की अवस्था में नामित का अधिकार चला जाएगा, का नाम, पूरा पता व उसका/उनका जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	यदि नामित जमाकर्ता के परिवार का सदस्य नहीं है जैसा कि विनियम 2 में परिभाषित है,तो उन कारणों का उल्लेख करें

दिनांक : तारीख.....मास.....19, स्थान.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता हस्ताक्षर

1.....

2.....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्थान

श्री/श्रीमती.....पदनाम.....द्वारा नामांकन

नामांकन की प्राप्ति की तारीख.....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर....
पदनाम.....
तारीख.....

जमाकर्ता के लिए निर्देश—

(अ) अपना नाम भरा जाए।

(ब) निधि का नाम उचित रूप से पूरा किया जाए।

(स) शब्द "परिवार" की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 में दी गई है पुनः प्रस्तुत की जाती है।

"परिवार" से अभिप्राय :—

(1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनों, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(2) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है।

नोट : —बच्चे से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे से है और इसमें गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित है जहां पर यदि वैयक्तिक कानून, जिससे जमाकर्ता प्रशासित है, द्वारा मान्य हो।

(द) यदि एक ही व्यक्ति नामित है तो कालम 4 में नामित के सामने शब्द "पूरा" लिखा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते हैं, तो भविष्य निधि में जमा राशि में से प्रत्येक नामित को देय हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(य) कालम 5 में नामित की मृत्यु को आकस्मिकता घटना के तौर पर उल्लेख नहीं करना चाहिए।

(र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करें।

(ल) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिरछी रेखा खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद इसमें और को प्रविष्टी न कर सके।

कृष्ण कुमार भटनागर
सदस्य सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES

CENTRAL OFFICE

Calcutta-700 001, the 1st February 1990

No. DFC. 58/ED(T)-90.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 and Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1977 shall with immediate effect be amended in the following manner, namely :—

1. In the First Schedule to the respective Directions 1977

(a) In Part-1

for the existing item 9, the following shall be substituted, namely :—

"Of the total deposits at item 6 above, those free of interest and bearing interest (excluding brokerage if any)*

	Code No.
(i) Free of interest	151
(ii) Below 6%	152
(iii) 6% or more but less than 9%	153
(iv) 9% or more but less than 11%	154
(v) 11% or more but less than 13%	155
(vi) 13% or more but less than 14%	156
(vii) at 14%	157
(viii) More than 14%	158

Total 9 (i to viii) should tally with item 6 above.

(b) In Part—2

(i) for the existing item 2, the following shall be substituted, namely :—

	Code No.
"2. Money received from a foreign Government or any other authority (see also note 3 below)"	202

(ii) for the existing item 4, the following shall be substituted, namely :—

	Code No.
"4. Money received from any other company not being a company incorporated outside India."	

(iii) In note 3, all the items 3 to 5 appearing after the words 'Foreign Authority' shall be deleted.